खण्ड-488, अंक-1
बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1935
(19 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2014)

(खण्ड 488 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-12
उपस्थित सदस्य	13-17
राष्ट्रीय गीत	19
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	19-23
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	23-65
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2014) (सदन के पटल पर रखा गया)	65
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2014) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	66
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	66
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	66
रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	66-67
उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 को द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2013 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	67-68
रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	68
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	68-70

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
12. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, श्रीमती — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
35. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
52. इकबाल, श्री — बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
54. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

61. उदयराज, श्री — उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
65. उमा भारती, सुश्री — महोबा
66. उमाशंकर, श्री — बलिया
67. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
68. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
69. ओम कुमार, श्री — बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री — जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
73. कमाल अख्तर, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
74. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
75. करतार सिंह भड़ाना, श्री — मुजफ्फरनगर
76. कलराज मिश्र, श्री — लखनऊ
77. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री — बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
83. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री — कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री — गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री — महराजगंज
87. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री — पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री — बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री — हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री — आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री — जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री — महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री — लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री — बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती — लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री — आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री — मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
107. जगपाल, श्री — सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री — बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
110. जफर आलम, श्री — अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री — अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री — मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश निषाद, श्री — गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री — गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री — सन्तरविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
122. तसलीम, श्री — बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री — अलीगढ़

127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
132. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
133. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
134. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
135. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
136. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
137. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
138. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
139. धर्मराज, श्री बाराबंकी
140. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
141. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
142. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
143. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
144. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
145. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
146. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
147. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
148. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
149. नारद राय, श्री बलिया
150. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
151. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
152. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
153. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
154. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
155. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
156. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
157. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
158. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
159. पीतमराम, श्री पीलीभीत
160. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
161. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
162. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
163. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
164. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
165. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
166. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
167. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
168. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
169. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
170. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
171. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
172. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
173. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
174. फेरन लाल, श्री ललितपुर
175. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
176. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
177. बदलू खां, श्री उन्नाव
178. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
179. बाबू खां, श्री हरदोई
180. बाबूलाल, श्री गोण्डा
181. बावन सिंह, श्री गोण्डा
182. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
183. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
184. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
185. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
186. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
187. बैजनाथ, श्री मऊ
188. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
189. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
190. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
191. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
192. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर

193. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
194. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
195. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
196. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
197. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
198. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
199. मनबोध, श्री देवरिया
200. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
201. मनीष रावत, श्री सीतापुर
202. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
203. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
204. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
205. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
206. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
207. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
208. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
209. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
210. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
211. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
212. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
213. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
214. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
215. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
216. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
217. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
218. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
219. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
220. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
221. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
222. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
223. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
224. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
225. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
226. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
227. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
228. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
229. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
230. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
231. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
232. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
233. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
234. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
235. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
236. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
237. यासर शाह, श्री बहराइच
238. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
239. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
240. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
241. रघुनन्दन सिंह भदौरिया,श्री कानपुर नगर
242. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
243. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
244. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
245. रणजीत सुमन, श्री एटा
246. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
247. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
248. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
249. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
250. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
251. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
252. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
253. रवि शर्मा, श्री झांसी
254. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
255. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
256. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
257. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
258. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर

259. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
260. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
261. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
262. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
263. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
264. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
265. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
266. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
267. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
268. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
269. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
270. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
271. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
272. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
273. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
274. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
275. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
276. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
277. राम करन आर्य, श्री बस्ती
278. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
279. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
280. राम गोविन्द, श्री बलिया
281. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
282. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
283. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
284. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
285. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
286. राम मगन, श्री बाराबंकी
287. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
288. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
289. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
290. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
291. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
292. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
293. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
294. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
295. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
296. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
297. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
298. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
299. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
300. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
301. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
302. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
303. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
304. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
305. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
306. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
307. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
308. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
309. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
310. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
311. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
312. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
313. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
314. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
315. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
316. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
317. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
318. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
319. विजय सिंह, श्री रामपुर
320. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
321. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
322. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
323. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
324. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा

325. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
326. वीरपाल राठी, श्री बागपत
327. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
328. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
329. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
330. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
331. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
332. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
333. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
334. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
335. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
336. शाकिर अली, श्री देवरिया
337. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
338. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
339. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
340. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
341. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
342. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
343. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
344. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
345. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
346. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
347. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
348. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
349. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
350. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
351. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
352. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
353. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
354. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
355. संजय कपूर, श्री रामपुर
356. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
357. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
358. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
359. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
360. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
361. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
362. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
363. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
364. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
365. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
366. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
367. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
368. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
369. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
370. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
371. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
372. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
373. सियाराम सागर, डा0 बरेली
374. सीमा, श्रीमती जौनपुर
375. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
376. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
377. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
378. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
379. सुधाकर, श्री मऊ
380. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
381. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
382. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
383. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
384. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
385. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
386. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
387. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
388. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
389. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
390. सुल्तान बेग, श्री बरेली

391. सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
392. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
393. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
394. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
395. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
396. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
397. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
398. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
399. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
400. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
*401. रिक्त	प्रतापगढ़
**402. रिक्त	फतेहपुर
***403. रिक्त	उन्नाव
****404. रिक्त	प्रतापगढ़

* श्री राजाराम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-247 विश्वनाथगंज, जिला-प्रतापगढ़ की दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

** श्री सैय्यद कासिम हसन, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-240 सदर फतेहपुर, जिला-फतेहपुर की दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के अपराह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

*** श्री दीपक कुमार, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-165 उन्नाव, जिला-उन्नाव की दिनांक 24 जनवरी, 2014 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

**** श्री प्रमोद तिवारी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-244 रामपुर खास, जिला-प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्य निषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, श्रम, सेवायोजन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।
2	श्री मो0 आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।

1	2	3
6	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।
7	श्री अम्बिका चौधरी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण
8	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
9	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
10	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
11	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण
12	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
13	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
14	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
15	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
16	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
17	श्री राजेन्द्र चौधरी	कारागार
18	श्री नारद राय	खेलकूद एवं युवा कल्याण
19	श्री कैलाश	खादी एवं ग्रामोद्योग
20	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
21	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद
22	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	---
23	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	---
24	प्रो0 शिवाकान्त ओझा	---
25	श्री इकबाल महमूद	---
26	श्री महबूब अली	---
27	श्री शाहिद मंजूर	---

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
2	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
3	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
4	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
5	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
6	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
7	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य।
8	श्री अभिषेक मिश्रा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
10	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
11	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
12	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
13	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
14	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
15	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
16	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
17	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा।
18	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद व युवा कल्याण।
19	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास
20	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
21	श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह	माध्यमिक शिक्षा

1	2	3
22	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
23	श्री आलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
24	श्री राम सकल गूजर	प्राविधिक शिक्षा
25	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
26	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
27	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	मनोरंजन कर
28	श्री यासर शाह	------

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष
रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2013-2014)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-श्री उदयराज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-293

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय मिश्र 'टेनी', श्री लखीमपुर खीरी
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
12. अनुप्रिया पटेल, श्रीमती वाराणसी
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
21. अरूण कुमार, डा0 बरेली
22. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
23. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
24. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
25. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
26. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
28. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
29. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
30. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री आजमगढ़
33. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
34. आशीष यादव, श्री बदायूं
35. इकबाल, श्री बिजनौर
36. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
37. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
38. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
39. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
40. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
41. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
42. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
43. उदयराज, श्री उन्नाव
44. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
47. उमाशंकर, श्री बलिया
48. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
49. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
50. ओम कुमार, श्री बिजनौर
51. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
52. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
53. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद

54. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
55. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
62. कैलाश, श्री गाजीपुर
63. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
64. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
65. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
66. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
69. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
70. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
71. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
72. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
73. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
74. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
75. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
76. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
77. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
78. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
79. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
80. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
81. जगपाल, श्री सहारनपुर
82. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
85. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
88. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
89. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
90. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
91. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
92. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
93. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
94. दलजीत सिंह, श्री बांदा
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
97. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
98. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
99. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
100. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
101. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
102. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
103. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
104. धर्मराज, श्री बाराबंकी
105. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
106. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
107. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
108. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
109. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
110. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
111. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
112. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
113. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
114. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
115. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
116. पीतमराम, श्री पीलीभीत

117. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
118. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
119. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
120. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
121. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
122. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
123. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
124. फेरन लाल, श्री ललितपुर
125. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
126. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
127. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
128. बाबू खां, श्री हरदोई
129. बाबूलाल, श्री गोण्डा
130. बावन सिंह, श्री गोण्डा
131. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
132. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
133. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
134. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
135. बैजनाथ, श्री मऊ
136. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
137. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
141. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
144. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
145. मनबोध, श्री देवरिया
146. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
147. मनीष रावत, श्री सीतापुर
148. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
149. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
150. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
151. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
152. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
153. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
154. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
155. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
156. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
157. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
158. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
159. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
160. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
161. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
162. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
163. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
164. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
165. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
166. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
167. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
168. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
169. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
170. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
171. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
172. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
173. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
174. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
175. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
176. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
177. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
178. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
179. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
180. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
181. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
182. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर

183. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
184. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
185. रवि शर्मा, श्री झांसी
186. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
187. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
188. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
189. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
190. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
191. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
192. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
193. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
194. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
195. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
196. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
197. राधा मोहन दास अग्रवाल,डा0 गोरखपुर
198. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
199. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
200. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
201. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
202. राम करन आर्य, श्री बस्ती
203. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
204. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
205. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
206. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
207. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
208. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
209. राम मगन, श्री बाराबंकी
210. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
211. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
212. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
213. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
214. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
215. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
216. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
217. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
218. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
219. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
220. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
221. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
222. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
223. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
224. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
225. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
226. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
227. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
228. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
229. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
230. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
231. विजय सिंह, श्री रामपुर
232. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
233. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
234. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
235. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
236. वीरपाल राठी, श्री बागपत
237. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
238. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
239. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
240. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
241. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
242. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
243. शाकिर अली, श्री देवरिया
244. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
245. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
246. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ

247. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
248. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
249. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
250. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
251. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
252. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
253. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
254. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
255. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
256. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
257. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
258. संजय कपूर, श्री रामपुर
259. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
260. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
261. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
262. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
263. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
264. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
265. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
266. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
267. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
268. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
269. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
270. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
271. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
272. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
273. सियाराम सागर, डा0 बरेली
274. सीमा, श्रीमती जौनपुर
275. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
276. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
277. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
278. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
279. सुधाकर, श्री मऊ
280. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
281. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
282. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
283. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
284. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
285. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
286. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
287. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
288. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
289. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
290. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
291. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
292. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
293. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, अब मद सं0-1 शुभारम्भ, वन्दे मातरम्।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

मा0 सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

[12.31] श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

मैं पढ़ लूं उसके बाद आप अपनी बात कहें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं केवल आधे मिनट के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले यह शुरू तो हो जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, यही व्यवस्था का प्रश्न है कि महामहिम राज्यपाल जी ने जिस अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं, उसको आपके द्वारा पढ़े जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आज एक मा0 मंत्री भी माननीय महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के बीच में हस्तक्षेप करके उन्होंने विरोधी के साथ अपना स्वर मिलाया तो मान्यवर, इसलिए ऐसे हालात में जब विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग भी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं जिसको वह पढ़ नहीं पाये, ऐसे हालात में उस गैर पढ़े भाषण को आपके द्वारा पढ़ा जाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपके तर्क को सुना, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा बिन्दु बिल्कुल अलग है, आप पहले बैठ जाएं मैं तभी बोल पाऊंगा। मान्यवर, यह स्थिति कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी महामहिम राज्यपाल जी आते रहे हैं दो पंक्ति पढ़ते रहे हैं और उसको पढ़ा हुआ माना जाता रहा है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन इस बार कुछ अभूतपूर्व घटना हुई, हम तो नहीं थे, लेकिन टेलीविजन पर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही श्री राज्यपाल जी यहां पर आये कुछ माननीय सदस्यों ने कपड़े उतार दिये, अर्द्ध नग्न खड़े हो गये। महामहिम राज्यपाल जी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन मैं उम्मीद यह करता था कि सरकार की तरफ से अपील की जायेगी कि कपड़े पहन लो, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपील करेंगे कि कपड़े पहन लो। इनकी अपील यह थी कि बाकी भी उतारो। मैं मान्यवर, इनको बार-बार सुन रहा था और यह बहुत बल दे रहे थे। राज्यपाल जी कुछ भी नहीं बोल पाये, वह शांत खड़े होकर यह देखते रहे कि यह कह क्या रहे हैं, सारा ध्यान इन्हीं की तरफ था। बार-बार इस बात पर बल दिया अपने आसन पर खड़े होकर कि कैसे खड़े हो बेशर्मी के साथ में, आधे क्यों नंगे हो, पूरे क्यों नहीं होते हो, कपड़े क्यों नहीं उतारते। निश्चित रूप से इसका प्रभाव राज्यपाल जी पर पड़ा और उन्होंने सोचा कि कहीं इनसे प्रेरित होकर यह ऐसा ही न कर दें। (सदन में हंसी) क्योंकि अजीब प्रेरणा इनकी भी थी कि नहीं-नहीं उतारिये, पूरा उतारो और राज्यपाल जी ने क्षुब्ध हो करके न पहली पंक्ति पढ़ी न आधी पंक्ति पढ़ी और उस दृश्य से बच करके कि कहीं वह दृश्य सामने न आ जाए वह सदन छोड़ करके चले गये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले वह एक पंक्ति, दो पंक्ति पढ़ते थे लेकिन वह इस अद्भुत दृश्य से बचने के लिए और आपकी जो प्रेरणा थी वह प्रेरणा वास्तव में इतनी उत्तेजक थी कि शायद वह ऐसा कर भी सकते थे। इसलिए वह चले गये। इस वजह से मैं चाहता हूं कि इस अभिभाषण को आज न पढ़ा जाए जिसको महामहिम राज्यपाल जी खुद दुःखी हो करके सोच करके चले गये कि आखिर सरकार भी यही चाह रही हैं और प्रतिपक्ष के सदस्य भी यही चाह रहे हैं और जब दोनों मिल गये तो मेरा अभिभाषण पढ़ने का उद्देश्य क्या रह गया ? इसलिए वह छोड़ करके चले गये। इसलिए मेरी अपील यह है कि इस अभिभाषण को सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, पहली बात तो आप सदन में थे ही नहीं, आप जो कह रहे हैं कान की सुनी हुई बात कह रहे हैं, देखी हुई बात नहीं कह रहे हैं। इसलिए सुनी हुई बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं टेलीविजन पर देख रहा था उसमें कुछ लोगों के फेस दिखायी दे रहे थे, कुछ लोगों की गर्दन नजर आ रही थी, संसदीय कार्य मंत्री जी का भाषण नजर आ रहा था।

श्री अध्यक्ष-

जो आप कह रहे हैं वह सुनी हुई बात कह रहे हैं इसलिए सुनी हुई बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता इसलिए इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, भा0ज0पा0 विधान मण्डल दल कार्यालय में जो टेलीविजन लगा है वह आपकी व्यवस्था के तहत लगा है और आपने ही लगवाये हैं, हमने नहीं लगवाया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उसमें क्लीयर दिखायी दे रहा था फोकस उसी पर था खाली आपके भाषण पर, आपकी प्रेरणा पर और उस पर था।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, बात दरअसल यह नहीं है, बात दरअसल यह है हुकुम सिंह जी मंजर पूरा देखना चाहते थे, यह है शिकायत बस और कोई शिकायत नहीं है जो देखने का नहीं था, वह तो देख रहे हैं जो देखने का है वह कहां है ? यह है शिकायत। (हंसी)

(श्री प्रदीप माथुर जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप माथुर जी इसमें कोई बात नहीं है, अब अभिभाषण पढ़ लेने दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यगण, सलमान खान से प्रभावित होकर कपड़े उतारे हैं। बाकी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो वह मंजर दिखाने की काफी कोशिश की गयी। कहा भी गया कि बतायें कि कौन सा अंडर गारमेण्ट्स पहन रखे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय हमसे जुड़ा हुआ है। हमें उस पर मौका जरूर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर नहीं, जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तब बोलियेगा, आपको पूरा मौका रहेगा, आप दल के नेता हैं, जितना बोलना चाहते हैं उतना बोलियेगा।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, हमने किसानों की समस्या को, उनकी पीड़ा को उठाया है, यहां इसका मजाक उड़ाया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कभी-कभी सदन को हल्का रहने दिया करो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप शांत रहें। विधान सभा की गरिमा रहेगी तभी आपकी गरिमा रहेगी और विधान सभा की गरिमा को आज आपने तार-तार किया है, इसलिए आप सब बैठें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की और किसानों की पीड़ा व्यक्त करने के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति की यद्यपि लोकतंत्र में इस प्रकार की अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन विपक्ष अपनी बात किसी न किसी माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाना चाहता था मंशा उसकी समस्या को महामहिम राज्यपाल जी के संज्ञान में लाने की थी, सरकार के संज्ञान में लाने की थी, आपके संज्ञान में लाने की थी यद्यपि हम उसे उचित नहीं कह रहे हैं वह विधा उचित नहीं थी लेकिन उस विधा के पीछे कहीं न कहीं किसान की पीड़ा थी गन्ना किसानों की पीड़ा थी गन्ना किसानों के साथ जो हक तलफी और अन्याय हो रहा है वह पीड़ा थी जो गन्ना किसान अपना गन्ना खेत में जलाने के लिए मजबूर हैं वह पीड़ा थी जो गन्ना किसानों पर लाठियां चल रही हैं वह पीड़ा थी। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने उसे सलमान खान से जोड़कर हल्का बना दिया हम समझते हैं कि वह कतई व्यवहारिक नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, उस समय मजाक का माहौल चल रहा था इसलिए हमने यह बात कही।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा चर्चा और विमर्श का स्थल है जब आपको समय मिले उस समय अपनी बात रखिए। यह उस तरह का प्रदर्शन करने का स्थल नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

हमारे सदस्यों ने केवल अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात रखी है।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही माननीय सदस्यों की भी है। सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि विधान सभा की गरिमा को बचाओ। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो विधान सभा का सम्मान कम होगा और जब विधान सभा का सम्मान कम होगा तो आपका सम्मान भी अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए अपने

सम्मान के लिए और विधान सभा के सम्मान के लिए इस स्तर तक न जाएं यह विचार-विमर्श करने का ही स्थल है यह तर्क-वितर्क करने का स्थल ही है। यह अपनी बात कहने का स्थल है लेकिन कहने का भी एक ढंग होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप इसकी गरिमा को बचाए रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माथुर जी थोड़ा जल्दबाजी कर गये अगर सलमान खान के कपड़े उतारने का सैफई महोत्सव से जोड़े होते तो शायद इस तरह से आपत्ति नहीं होती।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बात है हमारा पुनः अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी विधान सभा और कोई अन्य स्थल में बड़ा अन्तर है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं मेरी राय मानिए और बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश का तो पालन करूंगा ही मैं केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का भाषण जो पढ़ा नहीं गया मेरा निवेदन है कि आप उसको पढ़ने में समय क्यों व्यर्थ करने जा रहे हैं। यदि आपकी कोई अपनी मजबूरी है तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में ....

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, जब इस पर चर्चा होगी उस समय आपके मन में जो कुछ हो वह कहिएगा। नियमों के अन्तर्गत आपको पूरी छूट है अब बैठ जाएं मुझे अभिभाषण को पढ़ने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह भाषण पढ़ा ही नहीं गया इसलिए इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2014 के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के प्रथम सत्र के लिए आहूत इस अधिवेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं तथा आप सबको व प्रदेश की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें देता हूं। मेरी कामना है कि नया वर्ष 2014 आपके व समस्त प्रदेश वासियों के लिए सुख, समृद्धि और सम्पन्नता से परिपूर्ण हो।

[आप सभी अवगत हैं कि विधान सभा के मा0 सदस्य श्री राजा राम पाण्डेय, मा0 सदस्य श्री सैय्यद कासिम हसन तथा मा0 सदस्य श्री दीपक कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

आपको स्मरण होगा कि मैंने अपने पिछले संबोधन में यह कहा था कि मेरी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है और जो-जो वायदे हमने जनता से किये थे मेरी सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाये हैं और उसी का परिणाम है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि जितनी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत पौने दो वर्षों में अर्जित की है, उतनी उपलब्धि सरकारें 5 सालों में भी नहीं प्राप्त कर पाती हैं।

हमने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए काम का वायदा किया था और मुझे आज इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त सिंचाई के अपने वायदे को मूर्त रूप प्रदान किया है। आज गरीबों को सरकारी चिकित्सालयों में दवाई के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है और गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। मुफ्त दवा के साथ-साथ सभी राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे व पैथालाजी जांच की भी निःशुल्क सुविधा जनता को उपलब्ध करायी जा रही है।

मरीजों, गर्भवती महिलाओं व दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद मुख्यालय व विकास खण्ड पर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा की व्यवस्था की गयी है। कोई भी व्यक्ति 108 मुफ्त/टोल फ्री नम्बर डायल कर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में 988 एम्बुलेन्स चलायी जा रही है, जिनके माध्यम से लगभग 17 लाख से अधिक रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है। गर्भवती महिलाओं व एक माह के नवजात शिशुओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक लाने-ले जाने के लिए 102 निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ की गयी है, जो 24 घण्टे और 365 दिन उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं से उबरने तथा उनमें नया आत्म विश्वास लाने के लिए मेरी सरकार द्वारा ''हौसला अभियान'' चलाया जा रहा है।

सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल अस्पताल) में 50 शैय्या वाले बाल रोग विभाग तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में 100 शैय्या वाले चिकित्सालय की स्थापना की गयी है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज हेतु लखनऊ में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने हेतु भूमि आदि की व्यवस्था कर ली गयी है। संस्थान का निर्माण सिग्रेचर बिल्डिंग व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाएगा। इसी के साथ-साथ कन्नौज में भी एक हृदय रोग व कैंसर रोग संस्थान की स्थापना करायी जा रही है। ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा में इमरजेन्सी एवं बर्न सेन्टर तथा 500 शैय्या के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलॉजी सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जापानी इन्सेफ्लाइटिस रोग से पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चे सर्वाधिक ग्रसित रहते हैं। बच्चों के समुचित इलाज हेतु मेरी सरकार द्वारा गोरखपुर में 500 बेड के नये बाल चिकित्सालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है। झांसी मेडिकल कालेज में 500 शैय्या के विस्तारीकरण का भी निर्णय लिया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ व झांसी का उच्चीकरण कराया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैय्या हो सके। चिकित्सा सुविधाएं तभी जन-जन तक पहुंच सकती हैं जबकि सक्षम चिकित्सक उपलब्ध हों और इसी के दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा आजमगढ़ एवं जालौन में 100-100 एम0बी0बी0एस0 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ पठन-पाठन प्रारम्भ कराया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा में 50-50 एम0एम0बी0एस0 सीटें बढ़ायी गयी हैं। पी0जी0 में भी सीटों में अपेक्षित वृद्धि की गयी है। कन्नौज, ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं नोएडा में पोस्ट ग्रेजुएट बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जा रही है। इटावा में पैरा मेडिकल विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

इसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर दी गयी है। मुफ्त पढ़ाई के साथ-साथ कक्षा-8 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस भी प्रदान की जाती है।

बच्चों को समुन्नत बनाने, उनके भविष्य को संवारने के लिए और देश-विदेश में हो रही तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने व उच्च शिक्षा हेतु उन्हें लैपटाप से लैस किया गया है, जिसके माध्यम से वे दुनिया के प्रगतिशील देशों के बच्चों की बराबरी कर सकते हैं।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा किसानों को नहरों तथा राजकीय नलकूपों से सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी को आबपाशी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। कृषक दुर्घटना बीमा, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा लाभ से आच्छादित करते हुए किसानों को अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त बी0पी0एल0 श्रेणी के वृद्धों को पेंशन अनुमन्य है। 80 वर्ष से ऊपर के पेंशन धारकों को 500 रुपये प्रतिमाह तथा उससे नीचे 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जा रही है।

किसानों के हित में मेरी सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक से लिये गये 50 हजार रुपये तक के कर्ज के ऋण माफी योजना में वर्तमान व गत वित्तीय वर्ष में कुल 1650 करोड़ धनराशि का प्राविधान कर लगभग 7 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। शेष लगभग एक लाख किसानों का ऋण भी आगामी वित्तीय वर्ष में माफ कर दिया जायेगा।

किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपया 3 लाख तक फसली ऋण लेने की सुविधा अनुमन्य की गयी है। किसानों को समय से उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराया गया तथा उनके द्वारा उत्पादित धान व गेहूं के क्रय की समुचित व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार गन्ना किसानों की समस्या के प्रति न केवल सचेष्ट है अपितु उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कृत संकल्प भी है। राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल लगभग 32530 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। मेरी सरकार ने बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल, पुवायां (शाहजहांपुर) व उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिल, मोहिउद्दीनपुर (मेरठ) को पुनः चलाने का निर्णय लिया है और इस वर्ष से वहां पर पेराई प्रारम्भ कर दी गयी है। चीनी उद्योग में पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा गन्ना किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा चीनी उद्योग को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत लगभग रु0 2000 करोड़ का निवेश सम्भावित है। चीनी मिल क्षेत्रों के अन्तर्गत गन्ना किसानों के लिए लगभग 428.71 किलोमीटर के 516 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है।

जनता को विभिन्न प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने में सुगमता हो, इस दृष्टि से 8 चुने विभागों नगर विकास, पंचायती राज, राजस्व, खाद्य एवं रसद, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सेवायोजन तथा विकलांग कल्याण की 26 सुविधाओं से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र लोकवाणी/जनसेवा केन्द्र के माध्यम से वितरित किये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है। भूमि सेना योजना के अन्तर्गत ऊसर, बीहड़, बंजर, जल भराव से समस्याग्रस्त क्षेत्रों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार भूमि सेना के माध्यम से कराया गया, जिसमें 25275 भूमिहीन मजदूरों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ तथा लगभग 70 हजार लघु एवं सीमान्त कृषक इससे लाभान्वित हुए।

डेयरी उद्योग के क्षेत्र में क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता की चार इकाइयां लखनऊ में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र, जौनपुर, जनपद वाराणसी में एयरपोर्ट के समीप औद्योगिक क्षेत्र कखियांव एवं जनपद इटावा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चारों इकाइयों के स्थापित हो जाने पर 7 लाख से अधिक कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।

औद्योगिकीकरण के लिए अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाना नितान्त आवश्यक है। मेरी सरकार का मानना है कि जब तक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन न किया जाय तब तक पूंजी निवेश आकर्षित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर नये औद्योगिक वातावरण का सृजन किया गया है और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति जारी की गयी है। लखनऊ एवं आगरा में 1500 करोड़ के पूंजी निवेश से आई0टी0 सिटी की स्थापना की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लगभग एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2012-2013 में जहां देश का ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत रहा वहीं उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 5.9 प्रतिशत रहा है।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सेक्टर में 1000 मेगावाट क्षमता की अनपरा 'डी' परियोजना में वर्ष 2014 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इसी प्रकार हरदुआगंज व पनकी में 660 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। ओबरा में 1320 मेगावाट क्षमता की ओबरा 'सी' परियोजना व घाटमपुर में 1980 मेगावाट विद्युत परियोजना वर्ष 2017-18 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। संयुक्त क्षेत्र में 320 मेगावाट क्षमता की मेजा तापीय विद्युत परियोजना से वर्ष 2016 में विद्युत उत्पादन शुरू हो जायेगा।

मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2016-17 तक प्रदेश के सभी शहरों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति का है। निजी क्षेत्र की 1980 मेगावाट क्षमता की बारा परियोजना से 2014 में तथा 1980 मेगावाट क्षमता की ललितपुर तापीय परियोजना से 2015 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इसी प्रकार 330 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से 2014 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। प्रदेश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रख्यापित की जा चुकी है और इसके अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

मेरी सरकार द्वारा सुगम यातायात के मद्देनजर लखनऊ-आगरा तक 6 लेन के 270 कि0मी0 लम्बे एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ-साथ आगरा इनर लिंक रोड के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है जिसमें 6 लेन की 26 कि0मी0 इनर लिंक रोड बनायी जायेगी।

मेरी सरकार द्वारा मेट्रो रेल की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का जो निर्णय लिया गया था, उसको मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा वांछित स्वीकृति प्रदान कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के नागरिकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनायी गयी है। जन-सामान्य को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 13 बड़े शहरों में रेडियो टैक्सी योजना लागू की गयी है जो जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 तकनीक से लैस होगी। इसे 24 घंटे टेलीफोन पर किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर बुलाया जा सकेगा। लखनऊ में यह सेवा प्रारम्भ हो चुकी है और इसका व्यापक लाभ हुआ है।

पर्यटन उद्योग से प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार द्वारा आगरा व कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार द्वारा नौजवानों को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए ''कौशल विकास मिशन'' की स्थापना की गयी है जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ सके। इस योजना का व्यापक स्वागत हुआ है और भारी संख्या में नौजवान इसका लाभ उठाने हेतु सामने आये हैं। 25 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के हाईस्कूल पास बेरोजगार युवकों एवं युवतियों के लिये 1000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया

जाता है। बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को तकनीकी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। सिद्धार्थनगर में भी एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। सोनभद्र एवं कन्नौज में एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखण्ड के जनपद बांदा में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

सच्चर समिति की संस्तुतियों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वांगीण विकास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को न्यायोचित हिस्सा दिलाने के उद्देश्य से 30 विभागों द्वारा संचालित 85 कल्याणकारी योजनाओं को, निर्धारित लक्ष्यों का 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यक समुदाय हेतु करने के लिये चयनित किया गया है। मात्राकरण हेतु ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सेवायें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, समाज कल्याण तथा कृषि एवं संवर्गीय सेक्टर की योजनायें सम्मिलित हैं।

संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने तथा अरबी, फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने एवं अनुदान सूची पर लिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है। अरबी, फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिये समुचित बजट व्यवस्था की गयी है।

मा0 सदस्यगण, आप सभी परिचित हैं कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। मेरी सरकार कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व कृषि के विकास के लिये व केवल प्रयत्नशील है अपितु इस क्षेत्र में सरकार द्वारा अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की गयी हैं। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार को कुल खाद्यान्न उत्पादन में अर्जित उत्कृष्ट स्थान (श्रेणी-1) के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

कृषि विभाग

वर्ष 2013 में विभाग द्वारा नयी कृषि नीति-2013 प्रतिपादित की गयी जिसके अन्तर्गत कृषि विकास दर में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही भविष्य में नई योजनायें तैयार कर क्रियान्वयन करने की रणनीति पर बल दिया गया है।

विगत कई वर्षों के बाद शासन के विशेष प्रयास से कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। वर्ष 2012-13 में कुल 85.40 लाख मै0 टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 105 लाख मै0 टन तथा वर्ष 2013-14 में 83.65 लाख मै0 टन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 86.22 लाख मै0 टन उर्वरक की उपलब्धता माह दिसम्बर, 2013 तक करायी गयी है।

वर्ष 2014-15 में 121.95 लाख मै0 टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 55.45 लाख मै0 टन एवं रबी के अन्तर्गत 66.50 लाख मै0 टन वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-14 में प्रदेश के समस्त जनपदों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी, जिसके अन्तर्गत रबी तथा खरीफ की प्रमुख फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम बार अधिसूचित किया गया है। अब तक न्याय पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया जाता रहा था।

प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु 04 वर्षों के लिये बीज रोलिंग प्लान तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत बीज प्रतिस्थापन दर में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ-साथ 10 वर्ष से कम उम्र की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा इस हेतु कृषकों को अनुदान वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त धान, मक्का, ज्वार और बाजरा में लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संकर प्रजातियों के बीज बोने की व्यवस्था की जा रही है।

कृषि यंत्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को खेती के लिये, ड्रम सीडर, पावर थ्रेसर, जीरो टिल सीड-ड्रिल, रोटावेयर तथा हार्वेस्टर सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु 230 कस्टम हायरिंग केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है जिससे छोटे किसानों को यह यंत्र आसानी से उपलब्ध हो जायें।

मेरी सरकार द्वारा सिंचाई हेतु सोलर पम्प को बढ़ावा देने के लिये भी एक विशेष योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 5000 सोलर पम्प के वितरण हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

ऊसर/बंजर तथा बीहड़ जमीन को सुधार कर खेती करने योग्य बनाने तथा भूमिहीन कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 में भूमि सेना योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत 34234 हे0 समस्याग्रस्त भूमि का सुधार किया गया। वर्ष 2013-14 में 59105 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2014 तक 37888 हे0 का सुधार किया गया तथा भूमि सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2014-15 हेतु भी 59105 हे0 सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र के 76 विकास खण्डों में लघु सीमान्त कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

कृषि विपणन-

प्रदेश में 250 मण्डियां तथा 364 उप मण्डियां स्थापित हैं। कृषकों को उनकी उपज को बेचने हेतु अत्यधिक दूर न जाना पड़े, इस हेतु वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन के दृष्टिगत इसके समग्र विकास हेतु 7 विशिष्ट मण्डियां एवं 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों की स्थापना की जा रही है तथा प्रत्येक 100 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में 2105 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही वर्तमान में 10 अन्य उप मण्डियों का भी निर्माण कराया जा रहा है।

किसानों एवं उपभोक्ताओं को व्यापक सुविधा देने के उद्देश्य से विभिन्न नगरों एवं शहरों में 11 किसान बाजार प्रस्तावित हैं, जिनमें से 6 किसान बाजार माह जून, 2014 तक बनकर तैयार हो जायेंगे। मण्डी स्थलों में त्रुटिरहित तौल व्यवस्था हेतु 300 वे-ब्रिज की स्थापना की गयी

है। इसी उद्देश्य के लिये मण्डी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 मण्डियां कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं।

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने व निर्यात प्रोत्साहन हेतु चावल, तिल, मेन्था एवं आलू के निर्यात पर मण्डी शुल्क में छूट दी गयी है। पैकेजिंग व्यवस्था हेतु मण्डी क्रेट्स अनुदान योजना व मण्डी सुगम परिवहन योजना लागू किये जाने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों की उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नये कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जनपद गोण्डा एवं सोनभद्र में नये कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना का प्रस्ताव है जिससे प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की बढ़ती मांग के अनुरूप कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि हो सके तथा कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को बढ़ावा मिले।

सिंचाई विभाग

मेरी सरकार कृषकों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है तथा उनकी खुशहाली के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सिंचाई के समस्त राजकीय साधनों जैसे राजकीय नलकूपों एवं नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है।

सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्राकृतिक जल संसाधनों को उपयोग कर वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सृजन एवं निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में आने वाली बाधा को दूर करते हुए भूमि अधिग्रहण का नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें सिंचाई विभाग हेतु भूमि अधिग्रहण करने हेतु विशेष सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ नहरों एवं नालों के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का मुआवजा देने के बाद ही कार्य शुरू कराने की नीति लागू की गई।

कृषकों के आवागमन की बेहतर सुविधा हेतु प्रदेश स्तर पर नहरों की पटरियों को पक्का कराने का निर्णय लिया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की 19 चालू परियोजनाएं यथा बाणसागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना, कचनौदा बांध, अर्जुन सहायक परियोजना, चौ0 चरण सिंह लहचूरा बांध, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण, भोपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, निचली रोहिणी बांध, उटारी बांध, भौरट बांध, जमरार बांध, पहाड़ी बांध, पहुंज बांध, कनहर सिंचाई परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, राजघाट नहर द्वितीय चरण, जसराना (नवीन) नहर परियोजना, रतौली वियर बांध तथा क्योलारी बांध परियोजना पूर्ण करने हेतु लगभग रु0 10965 करोड़ धनराशि का व्यय कर लगभग 801 हजार हेक्टेयर से अधिक की सिंचन क्षमता का सृजन

किया जाना प्रस्तावित है। 11 नई परियोजनाएं यथा भावनी बांध, बंडई बांध, विराट सागर बांध, पंचनद बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, सुखनई बैराज, बाघेन बांध, धुरवारा बांध, हथिनी कुण्ड लिंक चैनल द्वितीय चरण, सौर ऊर्जा विकास परियोजना के माध्यम से 47.80 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन के साथ-साथ सौर ऊर्जा एवं सूचना तकनीक का समुचित विकास किये जाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार में किये गये विशेष प्रयासों से प्रदेश के पूर्वांचल के 09 जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई महत्वाकांक्षी 'सरयू परियोजना' जो विगत 1976 से निर्माणाधीन है, को समय से पूर्ण करने के उद्देश्य से न केवल राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गई अपितु इसके सापेक्ष भारत सरकार से इस वित्तीय वर्ष 2103-14 तक का समस्त केन्द्रांश भी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई। अब यह परियोजना अपने निर्धारित समय पर पूर्ण हो सकेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार में केन्द्रांश हेतु लम्बित इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जनपदों के पठारी/पहाड़ी क्षेत्र में दुरूह कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्मित की जा रही बाण सागर परियोजना तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्माणाधीन अर्जुन सहायक परियोजना में गत वित्तीय वर्ष तक अपेक्षित केन्द्रांश प्राप्त किया गया। मेरी सरकार ने गठन के तुरन्त पश्चात् यह निर्णय लिया कि नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य दोनों फसलों खरीफ एवं रबी में किया जाए, जिससे प्रदेश की नहरों की टेलों तक सुचारु रूप से पानी पहुंचाया जा सके, इसलिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश में कुल 55394 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष यथापेक्षित सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी उक्त व्यवस्था लागू रहेगी।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत 03 वर्षों में 3000 नये नलकूपों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 562 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में 1016 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण कार्य हेतु रु0 160 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष कार्यवाही की गई है। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 135 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में 137 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण कार्य हेतु रु0 30 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश में डार्क जोन ब्लाकों की संख्या-1081 है जहां पर भू-गर्भ जल स्तर सामान्य से बहुत नीचे हो जाता है, जिसे वाटर रिचार्जिंग द्वारा ठीक कराने हेतु आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और तैयार किये गये प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही की गई है।

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हेक्टेयर में से लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 346.16 लाख हेक्टेयर का लगभग 21 प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष 14.64 लाख हेक्टेयर वन व अन्य क्षेत्र हैं

तथा 58.72 लाख हेक्टेयर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश के कुल 21.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है, जबकि लगभग 36.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना शेष है, जिसके प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए जिलेवार बाढ़ एवं जल निकास की समग्र योजनाएं तैयार कराई जा रही है ताकि प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।

वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ पानी के बेहतर प्रबन्धन में सहयोग मिलेगा।

भू-गर्भ जल विभाग

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश में भू-गर्भ जल संसाधनों के नियोजित विकास, प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु विभिन्न वैज्ञानिक विधाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

भू-गर्भ जल संसाधनों से सम्बन्धित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु भू-गर्भ जल संसाधनों का विकास खण्डवार आंकलन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर का सघन अनुश्रवण, भूजल की गुणवत्ता का आंकलन, भूजल अनुसंधान में रिमोट सेसिंग तकनीक का प्रयोग, जी0आई0एस0 मैपिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा समस्याग्रस्त क्षेतों की एक्यूफर मैपिंग आदि कार्य प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा भूगर्भ जल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश में 'समग्र भूजल प्रबन्धन नीति' को लागू किया गया है।

लघु सिंचाई

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है।

मेरी सरकार द्वारा एक गयी योजना वर्ष 2012-13 से संचालित है, जिसमें दो प्रकार के समूहों का गठन किया गया है। नलकूप निर्माण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को रु0 5 लाख तथा सामान्य श्रेणी के लघू/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को रु0 3.92 लाख के अनुदान जिनमें नलकूप निर्माण, जल वितरण प्रणाली एवं ऊर्जीकरण की धनराशि सम्मिलित है, दिये जा रहे हैं।

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो योजनायें समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम (सी0ए0डी0डब्ल्यू0एम0) एवं समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) संचालित की जा रही हैं।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम (सी0ए0डी0डब्ल्यू0एम0) के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल के प्रबन्धन के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अब तक 32690 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रक्षेत्र विकास कार्यो से आच्छादित किया गया है तथा 7.50 लाख रोजगार दिवस का सृजन किया गया।

समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अब तक स्टीयरिंग कमेटी द्वारा 26.50 लाख हे0 क्षेत्र की रु0 3186.42 करोड़ की 538 परियोजनाओं को अर्पेज कर क्लीयर किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक रु0 375.59 करोड़ की धनराशि व्यय कर 13920 आस्था मूलक कार्य, 266117 लाभार्थियों का प्रशिक्षण तथा 233415 हे0 क्षेत्र को उपचारित करते हुये 137.41 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया है।

परती भूमि विकास विभाग

परती भूमि विकास विभाग द्वारा प्रदेश की अपघटित एवं अकृष्य भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा ऊसर बाहुल्य जनपदों में ऊसर सुधार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना प्रदेश के 28 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार हेतु 1.30 लाख हे0 ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही प्रदेश में व्याप्त बीहड़ सुधार के लिए भी इस परियोजना में जनपद कानपुर देहात एवं फतेहपुर में पायलेट के आधार पर 5000 हे0 बीहड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित है।

परियोजना के प्रथम तीन सुधार वर्षो में प्रदेश के 28 जनपदों में 67,969 हे0 ऊसर भूमि तथा 6136 हे0 बीहड़ भूमि का उपचार किया गया है। उपचारित ऊसर भूमि में से 52,295 हे0 'सी' श्रेणी की भूमि में उपचार के उपरान्त प्रथम बार धान एवं गेहूं की फसल प्राप्त की गई है, जिससे प्रदेश में लगभग 6.2 लाख अतिरिक्त खाद्यान का उत्पादन प्राप्त हुआ है तथा परियोजना के लाभार्थियों को लगभग 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है।

प्रथम तीन वर्षो में कुल 154127 कृषक लाभार्थी लाभान्वित हुए है, जिसमें 144391 (94 प्रतिशत) लघु एवं सीमान्त कृषक लाभान्वित हुए है। लाभान्वित कृषकों में लगभग 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जन जाति लगभग 49 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी सम्मिलित हैं। कुल लाभार्थियों में 14886 महिला लाभार्थी भी सम्मिलित हैं।

परियोजनान्तर्गत अब तक 346 मुख्य जल निकास नालों के पुनरोद्धार के माध्यम से लगभग 372027 हे0 भूमि जल भराव की समस्या का निराकरण कराया गया है।

परियोजना क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा 90 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना करायी गयी है। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से परियोजना क्षेत्रों में 2824 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया गया है, जिसमें 31066 महिला सदस्यों द्वारा अब तक रु0 288 लाख की बचत कर रु0 440 लाख के अन्तः ऋण का आदान प्रदान किया गया है।

परियोजना क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 125 सोडिक हाटों का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 4 मॉडल सोडिक हाटों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 106 अन्य के निर्माण के लिए स्थलों का चिन्हांकन करते हुए 39 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

मत्स्य विभाग

प्रदेश में वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 4.50 लाख मी0टन का रिकार्ड मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादकता 3402 कि0ग्रा0/हे0/वर्ष आंकलित किया गया है। देश के अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चित बंगाल के पश्चात् प्रदेश का तीसरा स्थान है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2013 तक 3697 हे0 जलक्षेत्र के सामुदायिक तालाबों का पट्टे पर आवंटन, 4085 हे0 तालाबों का सुधार/निर्माण, 15356 लाख मत्स्य बीज वितरण एवं 888 आश्रयविहीन मछुआरों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा अब मछुआ आवासों को भी लोहिया आवास के मानकों के अनुरूप बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 300 हे0 जलप्लावित भूमि को मत्स्य पालन हेतु तालाब के रूप में विकसित कराने तथा 10.0 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य पालन विविधीकरण हेतु महाझींगा पालन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

पशुधन विभाग

प्रदेश में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कुक्कुट नीति-2013 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में अन्य प्रदेशों से प्रतिवर्ष आयात किये जा रहे 365 करोड़ अण्डा तथा 9.72 करोड़ एक दिवसीय चूजे के समतुल्य उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालन में उद्यमिता के विकास हेतु 30,000 पक्षी के लेयर फार्म एवं 10,000 पक्षी के ब्रायलर फार्म खोले जाने हेतु स्टाम्प ड्यूटी, मण्डी शुल्क में छूट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

इसी प्रकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं उच्च उत्पादन क्षमता के गो वंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के प्रदेश में ही उत्पादन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु डेयरी इकाई एवं 50 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इकाईयों की स्थापना हेतु लिये जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

उपरोक्त दोनों ही योजनाओं का व्यापक स्वागत हुआ है और काफी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु टोल फ्री नं0 18001805141 पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिससे पशुपालकों की समस्याओं का तत्काल एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है।

प्रदेश में पशुओं के रोग नियंत्रण हेतु खुरपका-मुंहपका रोग, गला घोंटू एवं भेड़ बकरियों की घातक बीमारी नियंत्रण हेतु पीपीआर रोग निरोधक टीकाकरण, कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में माह दिसम्बर, 2013 तक लगभग 577 लाख टीकाकरण किया गया है।

दुग्धशाला विकास विभाग

वर्ष 2013-14 में दिसम्बर, 2013 में प्रदेश में 12182 दुग्ध समितियां कार्यरत रहीं। समितियों के माध्यम से दिसम्बर, 2013 तक प्रतिदिन लगभग 5.76 लाख किलोग्राम दूध का उपार्जन एवं 3.28 लाख लीटर नगरीय दुग्ध बिक्री की गयी।

विभाग ने भावी कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों/दुग्ध संघों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बल्क कूलर को मार्केटिंग हब में विकसित करना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, फैजाबाद एवं गोरखपुर को आच्छादित करना तथा सघन डेरी विकास परियोजना को कन्नौज, बदायूं व अमरोहा में संचालन किया जाना सम्मिलित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भूमिगत जल संरक्षण एवं औद्यानिक फसलों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों को 75 प्रतिशत तथा लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

आगामी वर्ष में प्रदेश में औद्यानिक फसलों के विकास हेतु विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाओं के माध्यम से कृषक प्रक्षेत्रों पर फलों के प्रसंस्करण एवं निर्यात योग्य उन्नतिशील प्रजातियों के नवीन उद्यान रोपण व पुराने उद्यानों के जीर्णोद्धार कराने, उनके द्वारा शाकभाजी एवं मसालों की उच्च उत्पादकता वाली प्रमाणित व संकर प्रजातियों को अपनाये जानें, पुष्प एवं औषधीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने, संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाउस, शेड नेट, मल्विंग, लो-टनल पॉलीहाउस आदि की स्थापना को प्रोत्साहन, नवीन औद्योनिक तकनीकियों एवं औद्यानिकी में मशीनीकरण के समावेश द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने तथा औद्यानिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन व्यवस्था हेतु पैक हाउस, बहुउद्देशीय/बहुकक्षीय शीतगृह, प्याज भण्डार गृह, रीफर वैन, मिनिमल/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, राइपनिंग चेम्बर आदि ढांचागत सुविधाओं की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु खाद प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 एवं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

समग्र ग्राम्य विकास विभाग

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामों में विकास की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय से वंचित हैं।

सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रदेश में चयनित होने वाले 2100 राजस्व ग्रामों में अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी के 20 प्रतिशत ग्रामों को मात्राकृत करते हुए 420 अल्पसंख्यक बाहुल्य (25 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले) राजस्व ग्रामों तथा वर्ष 2013-14 के अवशेष लक्ष्य 08 अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 428 अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न योजनायें यथा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

आवासहीन चिन्हित परिवारों को आवास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 87 हजार परिवारों को प्रति आवास रु0 1.60 लाख के अनुदान से पोषित आवास उपलबध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत रु0 70 हजार प्रति आवास के अनुदान से पोषित 2.97 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकाण्ड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एक व्यक्ति के लिए रु0 5 लाख तक की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष इस निमित्त कुल रु0 25 लाख की सीमा तक धनराशि अवमुक्त करने की संस्तुति कर सकते हैं।

नगर विकास विभाग

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 22.30 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है, परन्तु आगरा नगर की भौगोलिक परिस्थितियों के काारण उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के दीर्घकालिक निदान हेतु अपर गंगाा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु आगरा पेयजलापूर्ति (पलरा) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी एवं यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 कार्यान्श में स्वीकृत सीवरेज, जलापर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की लगभग 100 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के नगरीय परिद्श्य में व्यापक सुधार परिलक्षित हो रहा है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण-मुक्त किये जाने के साथ ही प्रमुख झीलों की भी प्रदूषण-मुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 4 झीलों/तालों रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर-जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें तैयार की गयी हैं। राज्य सेक्टर की कतिपय महत्वपूर्ण योजनायें/कार्यक्रमों यथा, सालिड वेस्ट

मैनेजमेंट, आदर्श नगर योजना, नगरीय सड़क सुधार योजना, नगरीय जल निकासी योजना, नगरीय पेयजल व सीवरेज कार्यक्रम, नया सवेरा नगर विकास योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

राज्य सरकार की प्राथमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों को निःशुल्क मोटर/बैटरी चालित अत्याधुनिक रिक्शा दिये जाने की योजना प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार द्वारा आवासहीन शहरी गरीब मेहनतकशों, जिनकी आय रु0 200/- प्रतिदिन तक है, को आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं अन्य मलिन बस्तियों में, जहां उपयुक्त सड़कें नहीं हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसी बस्तियों में सी0सी0रोड अथवा इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण व जल निकासी इत्यादि मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की योजना भी संचालित की जा रही है।

विभाग द्वारा रामपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 21 शहरों को स्लममुक्त करने की योजना पर कार्यवाही की जा रही है। योजना का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर नई योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन आरम्भ की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा उक्त योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

आवास विभाग

प्रदेश की शहरी आवास नीति पूर्व में वर्ष 1995 में जारी की गयी थी। अर्बन नयी राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 बनायी जा चुकी है। इस नीति से प्रदेश के नागरिकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई दिशा मिलेगी। लैण्ड बैंक सृजित करने हेतु किसानों की सहभागिता से लैण्ड पूलिंग को बढ़ावा दिया जायेगा। विकास शुल्क, नगरीय विकास शुल्क तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क सम्बन्धी नियमावलियां बनायी जायेंगी। नजूल भूमि की फ्री-होल्ड करने के लिए नई नीति भी बनायी जायेगी।

समाज के विभिन्न वर्गो को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में **''सबके लिए आवास योजना''** के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के माह दिसम्बर, 2013 तक 37918 भू-खण्डों/भवनों का निर्माण/विकास कार्य जारी है। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत कुल रु0 4837 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। 30 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में भी कुल रु0 4876 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। हाईटेक और इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में 12152 ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 आवास निर्माणाधीन है।

लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीडा संकुल का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। गाजियाबाद में लगभग 20 कि0मी0 लम्बी नादर्न पेरीफेरल रोड रु0 440 करोड़ की लागत से पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति में है। आगरा में इनर रिंग रोड परियोजना का क्रियान्वयन इ0पी0सी0 माडल पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना प्रगति पर है। साथ ही लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क विकसित किया जा रहा है। गोमती तट विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ से होकर जा रही गोमती नदी पर हनुमान सेतु से डालीगंज पुल तक 1.8 कि0मी0 लम्बे तट के विकास और सौन्दर्यीकरण के कार्य करने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ शहर में यातायात समस्या के समाधान हेतु डालीगंज-मोहिबुल्लापुर, पुरनिया चौराहा-सीतापुर रोड, लखनऊ-सुल्तानपुर राजमार्ग (अर्जुनगंज) पर रु0 157.93 करोड़ की लागत से रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कराया जा रहा है।

लखनऊ नगर के लिए मेट्रो रेल चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ नगर के मेट्रो रेल चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हे। इसके क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा एस0पी0वी0 के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 का गठन किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार की अंश पूंजी के रूप में रु0 20 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 1838 करोड़ की लागत से कुल 11.11 कि0मी0 लम्बी मेट्रो रेल परियोजना (दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक 9.71 कि0मी0 लम्बी एवं शाहदरा से यमुना बिहार तक प्रस्तावित मेट्रो रेल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली 1.40 कि0मी0) क्रियान्वित की जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष महत्व है। कक्षा 1 से 8 के, 6 से 14 आयु-वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेसिक शिक्षा के सुनियोजित कार्यक्रम जैसे-सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम समयबद्ध रूप में संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013-14 में कक्षा 1-8 में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा स्कूल यूनीफार्म के दो सेट वितरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6-8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें 70416 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन चरणों में इण्टरमीडिएट अर्हताधारी शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो चुका है।

परिषदीय विद्यालयों में उर्दू भाषा के 4280 सहायक अध्यापकों के अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं तथा अवशेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

''साक्षर भारत मिशन योजना'' 66 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसमें 15 व्यय वर्ग के असाक्षरों को चिन्हित कर साक्षर किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की वह कड़ी है जिस पर देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण होता है इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने बालक और बालिकाओं के शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा को विशिष्ट बनाया जा सके। इस सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश में शैक्षिक वातावरण सृजन करने हेतु 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिये जाने की महत्वाकांक्षी योजना संचालित की गयी है, जिसके माध्यम से लगभग 15 लाख छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा में कमजोर परिवारों की ऐसी छात्रायें, जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, और उनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 35,000/- से अनधिक हो, को प्रोत्साहन स्वरूप रु0 20,000/- की धनराशि एक मुश्त प्रदान किये जाने के उद्देय से 'कन्या विद्याधन' योजना लागू की गयी हे। वर्ष 2013-14 में उक्त योजनान्तर्गत 4.45 लाख छात्राओं को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 45 नवीन मॉडल स्कूल स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 09 मॉडल स्कूल अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में स्थापित कराये जायेंगें। इन सभी स्कूलों में वर्ष 2014 में अध्यापन कार्य शुरू कराया जाना प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तरक्की के अवसर देकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने कौशल विकास नीति बनायी है, जिसको क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्णतया समर्पित कौशल विकास मिशन स्थापित किया गया है, जिसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। कौशल विकास नीति के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष समय में लगभग 44 लाख नौजवानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पालीटेक्निकों

तथा इंजीनियरिंग कालेजों की क्षमता में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास मिशन द्वारा लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से 3 वर्षों में 24 लाख नौजवानों को उत्तम गुणवत्ता का रोजगारपरक अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2-अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर चलाने के साथ-साथ राज्य सरकार असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर तथा पूर्व से संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का विस्तार कर प्रदेश के नौजवानों को राष्ट्रीय स्तर के मानक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा देने के लिए भी कार्य कर रही है। राज्य सरकार के संसाधनों से प्रत्येक वर्ष लगभग 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान असेवित क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगले दो वर्षो में सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

उच्च शिक्षा

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर तथा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के रूप में 02 नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2010 के क्रम में शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने हेतु ''उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014'' दिनांक 15-1-2014 को प्रख्यापित किया गया।

प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित पदों पर पूर्णकालिक शिक्षकों को दिनांक 01-01-2006 से 31-03-2010 तक की अवधि के लिये छठें वेतनमान के एरियर भुगतान हेतु रु0 982 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

निजी क्षेत्र में रामा विश्वविद्यालय, कानपुर एवं शोभित विश्वविद्यालय, गंगोह, सहारनपुर के प्राधिकार-पत्र निर्गत किये गये है एवं इन्हें क्रियाशील किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा 32 जनपदों के चिन्हित स्थलों में नये राजकीय मॉडल महाविद्यालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संचारी रोगों/संक्रामक रोगों के रोक थाम एवं नियंत्रण हेतु तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में 24X7 अवधि का कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जन शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग में टोल-फ्री नम्बर-18001805145 की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्व में मरीजों को 03 दिन निःशुल्क की औषधियों का वितरण किया जाता था, परन्तु वर्तमान में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की औषधियां मरीजों को वितरित की जा रही है तथा विशेष परिस्थितियों में मरीजों को 15 दिन की औषधियां प्रदान की जा रही है। समस्त मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है। अब सभी सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे एवं 100 प्रकार की पैथालोजी जांच भी मुफ्त कर दी गयी है।

दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 116 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पूर्ण करके उनको संचालित करा दिया गया है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल0 कार्ड धारक या रु0 24,000 तक वार्षिक आय वर्ग के लोगों को व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा एवं उपचार की विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आरोग्य निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित किया गया है।

डॉट्स प्रणाली के अन्तर्गत क्षय रोगियों को उपचार दिये जाने की दृष्टि से डॉट्स केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा क्षय रोगियों को अपने सामने औषधियां खिलायी जाती है। ग्लोबल थीम ''यूनिवर्सल एक्सेस टू टी0बी0 डायग्नोस्टिक एण्ड केयर'' के अन्तर्गत टी0बी0 के रोगियों की गहन रूप से खोज एवं उनके इलाज हेतु कार्यवाही भी की जा रही है।

प्रदेश में नेत्रदान को बढ़ावा दिये जाने हेतु 22 पंजीकृत नेत्र बैंक स्थापित है, जिसमें वर्ष 2013-14 में माह नवम्बर, 2013 तक 387 नेत्रदान में प्राप्त किये गये। वर्ष 2014-15 में मोतियाबिन्दु की व्यापकता दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत तक लाने की योजना है। 11.36 लाख मोतियाबिन्द के आपरेशन आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के 61 जनपदों एवं 632 विकास खण्डों में कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवशेष जनपद एवं विकास खण्डों के स्तर पर कुष्ठ रोग के निवारण स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रदेश के 08 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों हेतु 08 नग सी0टी0 स्कैन मशीनों के क्रय हेतु रु0 17 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की गई है।

रोगियों को सुचारु एवं निरन्तर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश के 112 राजकीय चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10 ट्रामा केन्द्रों का निर्माण एवं 7 ट्रामा केन्द्रों की व्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के त्वरित उपचार हेतु प्रस्तावित है। 8 नये टी0बी0 क्लीनिक का निर्माण एवं स्थापना तथा 35 स्थलों पर रोगियों के तीमारदारों के टहरने हेतु शेल्टरहोम्स की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध रोगियों हेतु सभी जनपदों में जिरियाट्रिक मेडीसिन क्लीनिक की स्थापना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है तथा 40 चिकित्सालयों में गम्भीर रूप से बीमार शिशुओं के उपचार हेतु सिक नियोनेटल यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है। सभी जनपद मुख्यालयों पर नये मानकों के अनुसार शव विच्छेदन गृहों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

आकस्मिक परिस्थितियों में रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे प्रदेश में आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 108 की एम्बुलेंस समाजवादी स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत 988 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। यह सेवा रोगियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे अब तक 17 लाख से अधिक को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

गर्भवती महिलाओं एवं एक माह तक के नवजात शिशुओं को नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाने एवं वावस घर छोड़ने की निःशुल्क सुविधा 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के समय दी जाने वाली सेवायें तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकत्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मेरी सरकार द्वारा नये मेडिकल कालेज, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, उरई (जालौन) में स्थापित किये जा चुके हैं।

वर्तमान शैक्षिक सत्र 2013-14 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0सी0आई0 द्वारा एम0बी0बी0एस0 की 50 सीटों से बढ़ाकर 100 सीटें किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही साथ मेडिकल कालेज, मेरठ तथा इलाहाबाद में भी एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटों से बढ़ाकर 150 सीटें किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इसी प्रकार रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा में भी एम0सी0आई0 द्वारा एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटों से वृद्धि कर 150 सीटें कर दी गयी हैं।

इसी वर्ष मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा मेडिकल कालेज, आगरा की एम0एस0 आर्थोपेडिक्स, एम0डी0 टी0बी0, एम0डी0 स्किन एण्ड वी0डी0 तथा एम0डी0 रेडियोथिरेपी की पी0जी0 डिग्री को कई वर्षो बाद समस्त संसाधन पूर्ण किए जाने के उपरान्त मान्यता प्रदान की गयी है। इन पाठ्यक्रमों की मान्यता मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा पूर्व में समाप्त कर दी गयी थी।

मेडिकल कालेज, बांदा, सहारनपुर में इसी वर्ष बाह्य रोग तथा अन्तः रोगी विभागों को संचालित किए जाने का लक्ष्य है।

राजकीय पैरा मेडिकल ट्रेनिग कालेज, झांसी के अगले शैक्षिक वर्ष से संचालित होने की पूर्ण सम्भावना है।

जनपद जौनपुर तथा बदायूं में मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। जनपद जौनपुर में भूमि की व्यवस्था की जा रही है तथा जनपद बदायूं में मेडिकल कालेज की शिलान्यास किया जा चुका है।

मेरी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों (जैसे-कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में आये असाध्य रोगों से ग्रस्त गरीब मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। जिसका आंगणन तैयार हो चुका है।

मेडिकल कालेज, झांसी में 500 शैय्या के उच्चस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

लखनऊ जनपद में उच्चस्तरीय सुपर स्पेशिलिटी कैंसर संस्थान की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है तथा कार्यवायी संस्था नामित की जा चुकी है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सेण्टर आफ एडवान्स रिसर्च विभाग को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेण्टर में पांच महत्वपूर्ण इकाई यथा मालीक्यूलर बायोलॉजी, फारेन्सिक ओडोन्टोलोजी, डी0एन0ए0 फिंगर प्रिटिंग, जेनेटिक्स/मेडिकल जेनेटिक्स, स्टेम-सेल-कल्चर की स्थापना आदि कार्य प्रस्तावित है।

श्रम विभाग

प्रदेश सरकार द्वारा जनता से किये गये अपने वायदे को पूरा करते हुए वर्ष 2012-13 में बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारम्भ की गयी।

वर्ष 2013-14 में माह नवम्बर, 2013 तक कुल 14,83,976 आवेदन-पत्र बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 12,57,355 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा रवी विपणन वर्ष 2013-14 में 6.83 लाख मी0टन गेहूं की खरीद की गयी तथा खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 हेतु सामान्य श्रेणी में धान का समर्थन मूल्य रु0 1310 तथा 'क' श्रेणी में धान का समर्थन मूल्य रु0 1345 निर्धारित किया गया है तथा 8 क्रय संस्थाओं के 2674 केन्द्रों व लाईसेंस प्राप्त आढ़तियों के माध्यम से धान क्रय का कार्य किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड टू एण्ड कम्पयूटीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 56.66 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।

खाद्य विभाग द्वारा जनता की सुविधा हेतु काल सेन्टर की स्थापना की गयी है जिसका टोल फ्री नम्बर-1800-180-0150 है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

खाद्य कारोबारकर्ताओं का लाइसेन्स एवं पंजीकरण की व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने के लिए ऑन लाइन लाइसेंस/पंजीकरण की सुविधा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01-01-2014 से प्रारम्भ की गयी है।

जनमानस के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु गुटका एवं तम्बाकू युक्त पान मसाला के विनिर्माण, भण्डारण तथा विक्रय सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रतिबन्धित किया गया है। प्रदेश

के समस्त जनपदों के खाद्य कारोबारकर्ताओं की सुविधा हेतु प्रदेश के 08 मण्डलों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण का गठन किया गया है।

लोक निर्माण विभाग

प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2013 तक 2270 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण, 915 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 10868 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के नवीनीकरण का कार्य, 117 नदी सेतुओं तथा 13 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों एवं उनकी 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ऐसे राज्य मार्ग जो अभी भी सिंगल लेन/डेढ़ लेन के हैं, उन्हें कम से कम दो लेन तक चौड़ा करना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में लगभग 2200 कि0मी0 राज्य मार्ग सिंगल लेन के हैं, जिसमें से लगभग 1550 कि0मी0 राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। अवशेष 650 कि0मी0 राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति आगामी दो वर्षों में निर्गत कर कार्य प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित है। प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों की 04 लेन मार्गों से जोड़ा जाना भी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। इसके अन्तर्गत 14 जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़ने हेतु मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। 07 जनपदों हेतु कार्यों की स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है तथा मार्ग निर्माणाधीन हैं। शेष कार्यों की स्वीकृति भी आगामी तीन वर्षों में की जानी प्रस्तावित है।

समस्त ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उ0 प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रख्यापित की गयी है। जिसके अनुसार प्रदेश की जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने हेतु समस्त विभागों द्वारा निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण/विशेष मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामान्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में माह दिसम्बर, 2013 तक कुल धनराशि रु0 717.32 करोड़ के सापेक्ष रु0 471.61 व्यय करते हुए 878 भवनों, 204 पुलियों एवं 4062 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 1065 भवनों, 188 पुलियों तथा 2823 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में फेज-10 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 32 जनपदों में लगभग 3217 कि0मी0 लम्बाई के 659 मार्गों के कार्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2013 तक 12 मार्गों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 514 मार्गों का कार्य प्रगति पर है। शेष 133 मार्गों के कार्यों के लिये निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

फेज-9 विश्वबैंक के अन्तर्गत 12 जनपदों के 72 मार्गों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में चयनित 1416 डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

उद्योग विभाग

प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने व प्रदेश में विकासयुक्त वातावरण सृजित करने के लिए सरकार द्वारा अवस्थापना को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के सभी महत्वपूर्ण शासनादेश जारी कर नीति पूर्ण तौर पर लागू कर दी गयी है। राज्य में औद्योगिकीकरण के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जिला/मण्डल स्तर पर उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण किया गया है। निवेश मित्र योजना प्रणाली भी प्रारम्भ कर दी गयी है। निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों को लगाने के लिए आनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था लागू की गयी है।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर की परिकल्पना भारत सरकार द्वारा जापान की सरकार के साथ समन्वय करके तैयार की गयी है। प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से भारत सरकार द्वारा प्रदेश में परियोजनान्तर्गत दो अली बर्ड परियोजनायें यथा मल्टी माडल लाजिस्टिक हब, दादरी एवं इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत की गयी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरशन द्वारा दिल्ली-नोएडा-ग्रेटर नोएटा मेट्रो रेल लिंक का रूट मैप तैयार कर लिया गया है। मेट्रो परियोजना के अन्तर्गत 14 मेट्रो स्टेशन नोएडा क्षेत्र में तथा 8 मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चिन्हित किये गये हैं। मेट्रो डिपो के लिये 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम मुरशदपुर में 250 एकड़ में नाईट सफारी परियोजना पी0पी0पी0 माडल पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्रों में मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना सण्डीला एवं रमईपुर, प्लास्टिक सिटी परियोजना, औरैया तथा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता व इस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के साथ बनने वाले इण्डस्ट्रियल कोरिडोर पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

लघु उद्योग

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूक्ष्म एवं उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालाजी अपग्रेडेशन) योजना, कलस्टर विकास योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 24,607 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई हैं जिनमें रु0 2098.20 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ तथा 1,99,084 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित हों।

औद्योगिक विकास को गति देने हेतु एकलमेज व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2013-14 में अब तक 39111 मामलों का निस्तारण किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रदेश के निर्यातकों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने हेतु विपणन सहायता प्रदान की जाती है तथा अपना माल विदेश भेजने हेतु भाड़े के मद में भी नियमानुसार वित्तीय सहायता दी जा रही है। निर्यातकों की सुविधा हेतु विपणन सहायता योजना के क्लेम आनलाइन फाइल करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है और अन्य योजनाओं को भी आनलाइन करने की योजना लागू की जा रही है। निर्यातकों को सहायता की राशि सीधे उनके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सुविधायें वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी दिया जाना प्रस्तावित है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के बेहतर एवं आधुनिकतम तकनीकी तथा कौशल विकास एवं मांग के अनुरूप नई-नई डिजाइनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हस्तशिल्प बाहुल्य जनपदों में हस्तशिल्प के कौशल उन्नयन तथा डिजाइन विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के हस्तशिल्पियों की कार्यकुशलता तथा उनकी दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्यदक्षता पुरस्कार पाने वाले शिल्पी जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो, को रु0 1000 प्रतिमाह पेंशन देने के उद्देश्य से हस्तशिल्पी पेंशन योजना संचालित है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प प्रोत्साहन हेतु हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। महिला उद्यमियों के सशक्तीकरण के लिए महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यान्चल तथा बुन्देलखण्ड के समस्त 12 मण्डलों के 49 जनपदों में संचालित की जा रही है। इसी प्रकार उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ को इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए संस्थान की अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

हस्तशिल्प कौशल उन्नयन तथा डिजाइन वर्कशाप योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना तथा महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

बेरोजगार नवयुवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों, भूमिहीन श्रमिकों, परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत ''मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना'' संचालित की जा रही है जिसमें आरक्षित वर्ग (अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाएं) के लाभार्थियों को रु0 10 लाख तक ब्याज रहित तथा सामान्य वर्ग के पुरुषों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

हथकरघा, वस्त्रोद्योग विभाग

हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों के विक्रय एवं बुनकरों के आर्थिक उन्नयन के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मुबारकपुर, आजमगढ़ में विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 500 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 490 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना में चयनित बुनकरों को जिला स्तर/राज्य स्तर पर पुरस्कृत किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2013-14 में चयनित बुनकरों को 03 राज्य स्तरीय पुरस्कार व 40 परिक्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2013 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अनुसार मार्च, 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना लक्षित है। अब तक 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने हेतु विकासकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और 130 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु 07 विकासकर्ताओं का चयन किया गया। उक्त विकासकर्ताओं में से 06 विकासकर्ताओं के साथ 110 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनायें स्थापित किये जाने हेतु पी0पी0ए0 निष्पादन की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। परियोजनाओं का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के एन0एच0पी0सी0 द्वारा 100 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। एन0एच0पी0सी0 द्वारा जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम परासन में प्रथम चरण में 50 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनायें स्थापित किये जाने हेतु यूपीनेडा एवं एन0एच0पी0सी0 के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा चुका है।

प्रदेश के 355 अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों में सोलर होम लाईट तथा सामुदायिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर लाइट की स्थापना से रिमोट ग्राम विद्युतीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। सोलर होम लाइट योजना के अन्तर्गत कुल 157420 घरेलू लाईट विभिन्न परिवारों को उपलब्ध करायी गयी है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 1598 चयनित ग्रामों में 18444 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की गई है और वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2107 चयनित ग्रामों में 24845 सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना सम्बन्धी कार्य त्वरित गति से कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में बायोमास, लघु जल विद्युत परियोजनायें तथा पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन का कार्य प्रगति पर है।

समाज कल्याण विभाग

मेरी सरकार द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40 लाख परिवारों के लिए वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत चयनित परिवार के मुखिया को रु0 500/- प्रतिमाह देय होगा। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित कल्याणकारी कार्यक्रमों में भागीदारी देने पर प्रतिवर्ष इस पेंशन में रु0 50/- माह की वृद्धि भी दिये जाने का प्राविधान रखा गया है। इस वृद्धि को प्रतिवर्ष प्राप्त करते हुए यह पेंशन अधिकतम रु0 750/- प्रतिमाह के स्तर तक पहुंच सकती है।

कक्षा-1 से 8 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त विद्यार्थियों तथा सामान्य जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के माध्यम से नकद भुगतान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा-9 व 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2 लाख तक हो तथा सामान्य वर्ग के कक्षा 9 व 10 के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति देय है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2 लाख तक है। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत ऑन-लाइन आवेदन-पत्र भरवाने की अनिवार्य प्रक्रिया संचालित है।

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के बालक, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने तथा साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक 480 प्रवेश क्षमता के आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन, पाठ्य पुस्तकें आदि की सुविधायें प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुल 76 विद्यालय संचालित है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग केन्द्रों का संचालन किया जाता है ताकि समाज के कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान की जा सके। प्रदेश से 7 कोचिंग केन्द्र संचालित हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 19,884/- तथा शहरी क्षेत्र में 25,546/-रुपये तक वार्षिक आय के आधार पर किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को पुत्री की शादी हेतु रुपये 20,000/- की सहायता दी जाती है। प्रदेश के अवशेष जनपदों में शादी हेतु रुपये 10,000/- की सहायता अनुमन्य है। परिजनों के इलाज हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में रुपये 5000/- की सहायता दी जाती है।

सामान्य जाति के परिवारों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को पुत्रियों की शादी हेतु रुपये 10,000/- तथा परिजनों के इलाज हेतु रुपये 5000/- स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत पात्र 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को प्रतिमाह रु0 300/- प्रति लाभार्थी तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनो को रु0 500/- प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि रु0 20 हजार से बढ़ाकर रु0 30 हजार कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस हेतु कुल रु0 350 करोड़ का बजट प्राविधान है।

रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे परिवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की (बी0पी0एल0) सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड अन्त्योदय योजना या किसी अय पेंशन योजना यथा वृद्धसवस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को रु0 400/- प्रति माह की दर से दो छमाही किश्तों में पेंशन की धनरशि उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 1239 करोड़ का बजट प्राविधान है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा जनपदों में बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रु0 10,000/- (जो भी कम हो) निर्धारित है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्ययभार लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं वहन करने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 12 करोड़ का बजट प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण-

अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राओं को, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, को पूर्वदशम छात्रवृत्ति देने तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी निर्णय लिया गया है।

10वीं पास पुत्रियों के लिये आगे की शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार ने प्रदेश के रु0 36,000/- वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक अभिभावकों की 10वीं पास पुत्रियों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु रु0 350 करोड़ का बजट उपलब्ध कराकर रु0 20,000/- की धनराशि एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया है।

मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान योजना प्रदेश के 48 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के 144 ब्लाक, 18 स्थानीय निकायों में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधायें विकसित करते हुए चिकित्सा, शिक्षा, कौशल विकास को वरीयता दी जा रही है।

सैनिक कल्याण

राज्य सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं, के निदान एवं कल्याण कार्यों तथा पूर्व सैनिकों के पुर्नवास हेतु सतत् प्रयत्नशील है। सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उद्यमिता विकास एवं स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की नीति छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु लगभग रु0 743 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2013 में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों की भांति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रु0 361 करोड़ तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु लगभग रु0 501 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत प्री-स्कूल किट्स, मेडिसिन किट्स, वेतन, मानदेय, कन्टीजेन्सी इत्यादि पर व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रु0 1441.24 करोड़ (रु0 चौदह सौ इकतालिस करोड़ चौबीस लाख मात्र) की व्यवस्था है।

अनुपूरक पोषहार योजना के अन्तर्गत गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को माइक्रोन्यूट्रियन्ट फूड तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन व मार्निंग स्नैक्स दिये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रु0 2712.90 करोड़ की व्यवस्था है।

महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 602 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये रु0 6.62 करोड़ की व्यवस्था है। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना ''सबला'' संचालित है। योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन प्रदेश के 03 जनपदों (सुल्तानपुर, अमेठी एवं महोबा) में गर्भवती महिलाओं के सफल प्रजनन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रु0 4.36 करोड़ की व्यवस्था है।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश के सर्वांगीण विकास में नारी की अहम् भूमिका होती है। इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं।

पति की मृत्योपरान्त 35 वर्ष से कम आयु की महिला से विवाह करने पर दम्पति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 11000/- की धनराशि एकमुश्त दी जाती है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही, दहेज से उत्पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता के रूप में रुपये 125/- प्रतिमाह का अनुदान, कानूनी सहायता के अन्तर्गत दहेज से उत्पीड़न सम्बन्धी विधिक वाद की पैरवी हेतु रुपये 2500/- एकमुश्त की सहायता प्रदान की जाती है।

पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना में रुपये 300/- की धनराशि प्रतिमाह दी जाती है। वर्तमान में यह भुगतान लाभार्थियों को आनलाइन किया जा रहा है ऐसी निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु रुपये 10000/- की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश में संचालित 23 गृहों में विशेष आवश्यकता वाले शारीरिक, मानसिक रूप से अविकसित/विक्षिप्त विकलांगता श्रेणी के अनतःवासियों बच्चों को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 19 राजकीय बाल गृहों के अतिरिक्त जनपद लखनऊ में विभिन्न आयु वर्ग के 50-50 की क्षमता के किराये के भवनों में संचालित किये जाने हेतु 04 राजकीय बाल गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है।

अनाथ बच्चों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर एक दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी तथा जनपद स्तर पर दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि की उपलब्धता के अनुसार नवीन राजकीय बाल गृहों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

युवा कल्याण विभाग

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर सुलभ कराया जाता है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु चयनित पायका सेन्टर्स के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि अवमुक्त कराकर 2260 पायका सेन्टर्स विकसित कराकर संचालित कराये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजनान्तर्गत आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 06 भागों की प्रतियोगिताओं के सापेक्ष अब तक सम्पन्न 03 भागों की प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रतिभाग कराया गया जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा 03 स्वर्ण, 01 रजत एवं 02 कांस्य पदक जीत कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया गया।

राज्य स्तरीय युवा उत्सव के आयोजन के उपरान्त दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2014 तक लुधियाना पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में 65 सदस्यीय टीम का प्रतिभाग कराया गया।

प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 126/- से बढ़ाकर 160/- प्रतिदिन किया गया है।

खेल विभाग

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं जिनमें से अधिकांश जिलों में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है कुछ नये सृजित जनपदों में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जा रहा है। जिन जनपदों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है उसके लिये भूमि के चयन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 06 स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल तथा 07 तरणताल एवं 02 एस्टोटर्फ हाकी मैदान, 02 वेटलिफ्टिंग हाल, 01 जूडो हाल तथा 03 स्पोर्ट्स कालेज निर्माणाधीन हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में युवा खिलाड़ियों को विशेष खेल प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ एवं गोरखपुर में 02 स्पोर्ट्स कालेज पूर्व से स्थापित हैं। इस वर्ष सैफई (इटावा) में भी एक नये स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गई है।

गृह विभाग

इलाहाबाद में कुम्भ मेले में पुलिस की सजगता/सतर्कता एवं सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था व प्रभावी कार्यवाही के कारण कुम्भ मेला शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न हुआ। मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तथा कानून एवं व्यवस्था कायम रही।

वर्ष 2013 में अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार एवं मेले भी सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था तथा सजगता के कारण शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुये।

वर्ष 2013 में दिनांक 25-10-2013 से 27-10-2013 तक जनपद गौतमबुद्ध नगर में आयोजित इण्डियन ग्राण्ड-प्री फार्मूला-वन-रेस सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था के कारण सकुशल सम्पन्न हुई।

कम्युनिटी पुलिसिंग के अन्तर्गत वृहद स्तर पर जन कल्याणकारी कार्य किये गये हैं जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के काफी लोग लाभान्वित हुए हैं।

आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमाण्डो बल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, अनौरा, लखनऊ में बनाया जा रहा है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में नवीन पुलिस लाइन परिसर कल्ली पश्चिम, मोहनलालगंज, लखनऊ में अस्थायी रूप से कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है तथा कमाण्डोज के प्रथम बैच को विधिवत् प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है।

कारागार विभाग

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का मुख्य उद्देश्य बन्दियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनका व्यक्तित्व परिमार्जन तथा सामाजिक पुनर्वास करना है, ताकि वे कारागार से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन-यापन कर सकें। वर्तमान

में प्रदेश में 08 जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो ओवर क्राउडिंग की समस्या के निदान में सहायक होगा।

बन्दियों के चारित्रिक निर्माण हेतु साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। वर्ष 2012-13 में कक्षा-5 से 8 तक के 1626, हाई स्कूल के 187, इण्टरमीडिएट के 124 तथा इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1268 पंजीकृत बन्दियों द्वारा परीक्षा में भाग लिया गया तथा 80 प्रतिशत से अधिक बन्दी उत्तीर्ण हुए।

विचाराधीन बन्दियों की रिमाण्ड हेतु प्रदेश के 07 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयों की स्थापना कराई गई है तथा 12 कारागारों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही शेष कारागारों में भी वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाई स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

राजनैतिक पेंशन

राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्षित करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को वर्तमान में रु0 8,119/- की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके सम्मान में रु0 3,000/- मासिक सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की तथा निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

होमगार्ड्स विभाग

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। संगठन की इकाईयां उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में स्थापित हैं तथा 1,18,348 होमगार्ड्स स्वयंसेवक 1151 कम्पनी तथा 60 स्वतंत्र प्लाटूनों में विभक्त होकर पुलिस के सम्पूरक बल के रूप में कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में नियोजित होते हैं।

हाल ही में मध्य प्रदेश तथा दिल्ली राज्य के सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचन 2013 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से क्रमशः 12,000 व 11,000 होमगार्ड्स अन्तर्राज्यीय संचरण के रूप में उपलब्ध कराये गये जिन्होंने इन राज्यों के चुनाव सम्पादित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा इन राज्यों की प्रशंसायें अर्जित कीं।

न्याय विभाग

गोमतीनगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन के निर्माणाधीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 में रु0 200 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य वर्ष 2015 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जिन 63 जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित नहीं था, उन जनपदों में पारिवारिक न्यायालय गठित कर दिया गया है।

विशिष्ट भ्रष्टाचार सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु प्रदेश में 22 नये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश न्यायालयों की स्थापना की गई है।

ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराये जाने हेतु जिन तहसीलों में वाह्य न्यायालय नहीं हैं, ऐसे 113 तहसीलों पर वाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों तथा मा0 उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में चिकित्सा उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गई है।

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत न्यायाधीशों के प्रशासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालयों में कुल 75 कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है, जिसके क्रम में 69 कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति की गई है।

परिवहन विभाग

सड़क सुरक्षा का मामला सामान्य जनता से जुड़ा होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में है।

इस परिप्रेक्ष्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने, उनके उपायों को लागू करने तथा यातायात प्रबन्धन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में पूर्व से ही राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् गठित है। सड़क सुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षानीति बनाये जाने, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा कोष के सृजन एवं इस हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

मार्गों पर ओवरलोडेड माल वाहनों का निरंकुश संचालन एक आम समस्या हो गयी है। इस समस्या के निराकरण हेतु आई0आई0टी0 कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञों से प्रारम्भिक विचार-विमर्श के आधार पर यह मत स्थित हुआ है कि ओवरलोड माल वाहनों को चेक करने हेतु वे-इन-मोशन की तकनीक के प्रयोग से एक पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जाये ताकि उसके कन्ट्रोल्ड एवं मानीटर्ड संचालन के आधार पर उक्त सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू किये जाने हेतु विकसित एवं दोष रहित किया जा सके।

माह जून, 2013 में उत्तराखण्ड में आपदाग्रस्त यात्रियों को उनके गन्तव्यों तक पहुंचाने हेतु परिवहन निगम द्वारा 1326 बसों की विशेष व्यवस्था की गयी।

वन विभाग

मेरी सरकार वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उनके प्राकृतवास की सुरक्षा हेतु निरन्तर नवीन व्यवस्था कर रही है। इस क्रम में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। लायन सफारी पार्क की स्थापना से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लायन सफारी पार्क के निर्माण से इस क्षेत्र की वनस्पतियां भी सुरक्षित होंगी। इसके अतिरिक्त दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर की स्थापना, कानपुर एवं लखनऊ प्राणि उद्यानों का

उच्चीकरण, संरक्षित क्षेत्र के बाहर वास करने वाले वन्य जीवों के लिए नई योजना का क्रियान्वयन तथा वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक बाघ डेटा सेल की स्थापना की गयी है, जिसमें बाघ तथा अन्य वन्य जीव अपराध से सम्बन्धित डेटा फीडकर अनुश्रवण कार्य किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 में वन विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा कुल 5.19 करोड़ पौध रोपित किये गये हैं। प्रदेश में हरीतिमा वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी वृक्षारोपण कराया है। इटावा में फिशर फारेस्ट के रेस्टोरेशन के लिए 1000 एकड़ क्षेत्र में 1.53 लाख पौधों का रोपण किया गया है। झांसी जनपद में 1000 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है। 53 जनपदों में 50 एकड़/100 एकड़ क्षेत्रफल में पौधारोपण का कार्य कराया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण वृद्धि हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रीन वेल्ट की स्थापना, इको पर्यटन विकास तथा पौधारोपण की शत-प्रतिशत सफलता हेतु अधिक ऊंचाई की पौध रोपित करने की दिशा में अनवरत् प्रयासरत है।

पर्यावरण विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा समाचार पत्रों एवं जन प्रसारण के अन्य विभिन्न माध्यमों से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण कराया जा रहा है। पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर जनपदों की इन्वायरमेंट स्टेट्स रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। पर्यावरणीय गुणवत्ता की जांच के लिये निदेशालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण हेतु सुविधाओं की स्थापना एवं अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के उपचार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। जलवायु परिवर्तन की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित राष्ट्रीय मिशनों के सम्बन्ध में समन्वय एवं तत्संबंधी अन्य कार्यवाही की जा रही है।

पर्यटन विभाग

पर्यटन दुनिया का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग सेवायोजित हैं। विश्व के कुल 150 देशों में पर्यटन, पांच सबसे बड़ी निर्यात से होने वाली आमदनी है तथा लगभग 60 देशों में पर्यटन विदेशी-मुद्रा अर्जित करने का सबसे बड़ा माध्यम है।

उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों तथा सभी धर्मों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी की वजह से पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत चिन्हित 10 महत्वपूर्ण स्थानों में से 6 महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनारस को प्राचीनतम नगरी माना जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं।

पर्यटन के विकास के लिये महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास आवश्यक है। कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना, आगरा

में ताजगंज वार्ड के समुचित विकास का कार्य, मथुरा-वृन्दावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य तथा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुण्डों/वनों के पुनरुद्धार के कार्य वर्तमान में प्रस्तावित/प्रचलित हैं।

प्रशासनिक सुधार विभाग

शासन जनसामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण, उनको बेहतर सुविधायें प्रदान करने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा शासकीय कार्यों को समय से निस्तारित करने के लिये कटिबद्ध है। इस दिशा में कार्य करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2013 में निरीक्षणालय के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में संगठन एवं अभिलेख प्रबन्धन में सुधार हेतु निरीक्षण/वीक्षण का कार्य कराया गया है। इस वर्ष में 1643 निरीक्षण कराये गये हैं।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग

विगत वर्ष प्रारम्भ प्रोन्नतियों की श्रृंखला में वर्ष 2013 में राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 34 अधिकारियों की प्रोन्नति की गई एवं राज्य सिविल सेवा के विभिन्न वेतनमानों में कुल 140 अधिकारियों की पदोन्नति हुई। इससे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है तथा लोक प्रशासन तथा जनसामान्य के निस्तारण में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 न्यायिक सेवा के 214 अधिकारियों को उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रोन्नत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में कुल 38 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रदान की गई तथा उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2012 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से चयनित 74 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। उ0प्र0 राज्य की महिला सरकारी सेवकों की भांति राज्य की न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा की महिला अधिकारियों को भी प्रसूति (मातृत्व) अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा प्रदान की गई। उ0प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में वैयक्तिक वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

उ0प्र0 सरकार ने मुजफ्फरनगर एवं उसके आस-पास के जनपदों में दंगों में मृत व्यक्तियों के आश्रितों में से किसी एक आश्रित को उसकी शैक्षिक योग्यतानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सेवायोजित किया गया।

प्रदेश में कई विभागों में विगत वर्षों से अवरुद्ध पदोन्नतियों में आ रहे गतिरोध को दूर करते हुए त्वरित गति से पदोन्नति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 सरकारी सेवा पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गई।

राज्य कर्मचारियों में अध्ययन की प्रेरणा का विकास करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मियों की उपलब्धता एवं उनके मनोबल में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 में राज्य की लोक सेवाओं और पदों के लिये आयोजित किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने के लिये राज्य के कर्मचारियों को अधिकतम् आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई।

उच्चतर पदों पर भी पदोन्नति के लिये परिवीक्षा अवधि की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गई।

वित्त विभाग

राज्य सरकार के समस्त भुगतानों के लिये ई-पेमेण्ट की व्यवस्था लागू होने से प्रदेश के सभी विभागों के वेतन बिल, पेंशन तथा अन्य भुगतान कोषागार द्वारा संबंधित के बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त शिक्षकों/कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का राजकीय पेंशनरों की भांति कोषागार से भुगतान की व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, वे भी उक्त व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं एवं पेंशन की धनराशि तुरन्त उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर हो रही है।

संस्थागत वित्त

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च, 2014 तक 3000 नई बैंक शाखायें खोले जाने हेतु ''बैंक शाखा प्रसार कार्यक्रम'' 2013-14 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2013 तक 1369 नई बैंक शाखायें खोली जा चुकी हैं, उक्त बैंक शाखाओं से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, व्यापारियों, स्वरोजगारियों को स्वरोजगार हेतु एवं छात्रों को शिक्षा हेतु, आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे प्राइवेट एजेन्टों/साहूकारों के शोषण से छुटकारा मिल सकेगा।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग

वाणिज्य कर विभाग में वित्तीय वर्ष 2013-14 में माह जनवरी, 2014 तक कुल रु0 30691.07 करोड़ का राजस्व जमा हुआ है जो गत वर्ष से 12.9 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य प्रदेशों यथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली की वृद्धि दर से यह काफी अधिक है।

विभाग की प्रदेश में स्थापित 146 सचलदल इकाईयों द्वारा माह नवम्बर, 13 तक अपंजीकृत व्यापारियों के करापवंचित माल के वाहनों की जांच करके रु0 103.19 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा कराई गई है जो गतवर्ष में इस अवधि तक जमा से 33.56 प्रतिशत अधिक है।

विभाग की 45 विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों द्वारा विभिन्न निर्माता व्यापारियों के व्यापार स्थल की जांच करके माह नवम्बर, 13 तक रु0 14428 करोड़ का करापवंचित टर्नओवर प्रकाश में लाया गया जो गत वर्ष में इस अवधि तक प्रकाश में लाये गये करापवंचित टर्नओवर लगभग रु0 8077 करोड़ से 78.64 प्रतिशत अधिक है।

शासन द्वारा दिनांक 31-03-2013 से पंजीकृत व्यापारी के लिये जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित धनराशि को रु0 4 लाख से बढ़ाकर रु0 5 लाख कर दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ माहों में 70 व्यापारियों को इसका लाभ प्रदान किया गया है।

व्यापारियों के हित में वाणिज्य कर मुख्यालय पर केन्द्रीय कठिनाई निवारण सेल तथा जोन स्तर पर जोनल कठिनाई निवारण सेल स्थापित किये गये हैं।

विभाग द्वारा व्यापारियों के ''द्वार पर पंजीयन'' की व्यवस्था दिनांक 02-10-13 से प्रारम्भ कर दी गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारियों को घर बैठे ही आन लाइन पंजीयन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

व्यापारियों को प्रान्तीय फार्म-38, फार्म-21 तथा फार्म-31 के डाउनलोडिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अवधारित फार्मों यथा फार्म-सी, फार्म-एफ, फार्म-ई-1, फार्म ई-11 तथा फार्म-एच के डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में यू0पी0 एक्ट सं0-18 आफ 2013 द्वारा संशोधन करते हुए फार्म 26 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों को अपने निर्माण कार्य में डीजल के प्रयुक्त किये जाने की दशा में रियायती दर से डीजल उपलब्ध कराने का भी प्राविधान किया गया है और इन इकाइयों को केवल 5 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर (वैट) का भुगतान करते हुए डीजल क्रय करने की सुविधा अनुमन्य की गई है।

प्रान्त के बाहर से प्रान्त के अन्दर होकर पुनः प्रान्त के बाहर माल ले जाने वाले परिवहित वाहनों के लिये माल के प्रवेश तथा माल के प्रान्त से निकास की आन लाइन संसूचना के बिन्दु को समाहित करते हुए आन लाइन टी0डी0एफ0 की नई सरलीकृत व्यवस्था लागू की गई है जिससे बिना कोई फार्म प्राप्त किये केवल आन लाइन घोषणा करके माल का परिवहन किया जा सकेगा।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिये उनके कैपिटल गुड्स की खरीद के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा जिस वर्ष में खरीद की गई है उसके अनुवर्ती वर्ष में ही दिये जाने की सुविधा भी मई, 2013 से प्रदान कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि अभी तक यह सुविधा जिस वित्तीय वर्ष में ऐसी खरीद की जाती थी उसके अनुवर्ती तीन वर्षों में समान इन्स्टालमेंट में दी जाती थी।

ईंट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2013-14 के लिये दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 को जारी कर दी गई है ताकि व्यापारी समय से इसका लाभ उठा सके। व्यापारियों के अनुरोध पर समाधान स्वीकार करने की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर, 2013 से बढ़ाकर 14 जनवरी, 2014 कर दी गई थी।

वार्षिक रिटर्न दायर करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2013 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2013 तक कर दी थी।

व्यापारियों को प्रदत्त की गई कर की दर में कमी अथवा कर मुक्ति की सुविधा के सम्बन्ध में आयरन एण्ड स्टील पर प्रवेश की दर शासकीय विज्ञप्ति सं0 643 दिनांक 16-05-13

जारी करते हुए 5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत कर दी गई है। इससे आयरन एण्ड स्टील से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा।

एग्रीकल्चर कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैडल पम्प (पैडल पम्प), खण्डसारी में बनने वाली कुलिया, मटर बेसन, अनब्रांडेड शहद, ढोलक, तबला, नाल, मृदंग, ढोल, डमरू, तून्तूना आदि स्वदेशी वाद्य यन्त्र, एन0आर0एच0एम0 के अधीन फ्रीडेज ब्राण्ड की सेनेटरी नैपकीन तथा पालिएस्टर एवं स्टेपिल फाईबर यार्न को करमुक्त कर दिया गया है।

तम्बाकू व्यवसाय में अनिर्मित तथा कच्चे तम्बाकू के सम्बन्ध में हो रही कर की दर की विसंगतियों को दूर करते हुए कच्चे तम्बाकू में इसके विभिन्न साइज में काटे गये तम्बाकू तथा तम्बाकू रिफयूज को भी समाहित करते हुए इन पर कर देयता 4 प्रतिशत, 01 प्रतिशत अतिरिक्त कर निर्धारित कर दी गई है। सभी प्रकार की सेनेटरी नैपकीन, बेबी डायपर, एडल्ट डायपर को 12.5 प्रतिशत कर + 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की श्रेणी से हटाकर 4 प्रतिशत कर + 01 प्रतिशत अतिरिक्त कर की श्रेणी में रखा गया है।

अभी तक माल का प्रान्त बाहर स्टाक ट्रान्सफर किये जाने पर 4 प्रतिशत की दर से रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट किया जाना प्राविधानित था। अब रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की यह दर 4 प्रतिशत से घटाकर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-8(1) में यथा परिभाषित कर की दर अर्थात् 2 प्रतिशत किये जाने के प्राविधान कर दिये गये हैं, जिससे व्यापारियों को काफी सुविधा होगी।

नेचुरल एसेंशियल आयल निर्माता व्यापारियों के लिये दिनांक 1-1-2008 से दिनांक 18-05-2012 तक 4 प्रतिशत + अतिरिक्त कर से अधिक दिये गये कर तथा इस पर देय ब्याज की माफी के आदेश शासन द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को निर्गत कर दिये गये हैं। ज्ञातव्य है कि इसके पश्चात्वर्ती अवधि के लिये शासन द्वारा इस पर कर की दर पहले ही 4 प्रतिशत + अतिरिक्त कर नियत की जा चुकी है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से वार्षिक विवरणी को समय से प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया गया और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा 4,60,972 व्यापारियों को एस0एम0एस0 किए गए।

नियोजन विभाग

वर्ष 2012-13 में प्रदेश की विकास दर 5.9 प्रतिशत आंकलित हुई, जो देश की विकास दर 5 प्रतिशत से अधिक है।

वर्ष 2011-12 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 29848 रुपये आंकलित हुई थी, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 33137 रुपये हो गई।

प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार वर्ष 2011-12 में रुपया 47000 करोड़ था, जो वर्ष 2012-13 में 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ रुपया 57800 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं वर्ष 2013-14 में प्रदेश की योजना का आकार पुनः 20 प्रतिशत बढ़कर रुपया 69200 करोड़ हो गया है।

राजस्व विभाग

राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन के 'विकास का एजेण्डा वर्ष 2013-14' में शामिल है। यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं। शासन के निर्देश पर राजस्व परिषद् द्वारा ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध प्रणाली'' नाम से एक नये पोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश में अब तक मण्डलीय एवं जनपदीय राजस्व न्यायालयों के लगभग 14 लाख वादों की प्रविष्टि इस पोर्टल पर करा ली गयी है।

उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत जन सामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों आय, जाति, निवास, भूमि का अविवादित नामान्तरण, किसान बही (मूल) एवं किसान बही (डुप्लीकेट) के समयबद्ध निस्तारण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें तहसीलदार/उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा निश्चित समय अवधि में जन सामान्य को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। निर्गमन अधिकारी द्वारा निश्चित समय में निस्तारण न करने पर प्रथम अपील व तदोपरान्त द्वितीय अपील की व्यवस्था है।

वर्तमान सरकार द्वारा तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पिछले वित्तीय वर्ष में बनाई गई थी। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी रु0 10 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। इस धनराशि से प्रभावित व्यक्तियों को भूमि क्रय कर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य सम्पत्ति विभाग

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा श्रेणी-2/3 के 192 आवास निर्माणाधीन है जिसके समक्ष 86 आवास शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगें तथा बादशाह नगर कालोनी में श्रेणी-3 के निर्माणाधीन 44 आवासों के सापेक्ष 24 आवास पूर्ण कराकर आवंटित कर दिये गये हैं। महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-3 के 96 आवास तथा बादशाह नगर कालोनी में अवशेष 20 आवासों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सचिवालय भवनों में स्थान की कमी के निदान हेतु दारूलशफा परिसर में एक अनावासीय/कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। नवी मुम्बई में उत्तर प्रदेश भवन का लोर्कापण किया जा चुका है। दिल्ली जाने वाले महानुभावों/अधिकारियों के अवस्थान हेतु उत्तर प्रदेश भवन/सदन में कक्षों की कमी के दृष्टिगत नोएडा में एवं मा0 उच्च न्यायालय जाने वाले अधिकारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत इलाहाबाद में भी अतिथि गृह के निर्माण की आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मा0 मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवासों की कमी के दृष्टिगत लखनऊ स्थित दारूलशफा परिसर में श्रेणी-5 के 40 आवासों तथा डालीबाग कालोनी में श्रेणी-6 के 24 आवासों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है।

सर्तकता विभाग

लोकतंत्र की सफलता के लिए आम आदमी को शासन के क्रिया-कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों कें निराकरण तथा विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर प्रदेश की जनता

को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है और भ्रष्टाचार उन्मूलन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक आयुक्त संगठन द्वारा की जा रही जांचों को गति एवं निरन्तरता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभावी कदम उठाते हुए लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त की पदावधि में 02 वर्ष की वृद्धि कर दी गयी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से लोक आयुक्त संगठन में पूर्व से प्रचलित जांचों के निस्तारण में तेजी आयेगी और भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले लोकसेवकों के विरुद्ध त्वरित गति से कार्यवाही करने में सुगमता रहेगी।

धमार्थ कार्य विभाग

कैलाश मानसरोवर एक अत्यन्त पवित्र, दुर्लभ हिन्दू तीर्थ है, भारत वर्ष के सभी क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में तीर्थ यात्री प्रति वर्ष इस दुर्गम क्षेत्र की यात्रा करते हैं। उ0प्र0 राज्य में भी वित्तीय वर्ष 2012-13 से उ0प्र0 राज्य के निवासी तीर्थ यात्रियों में 50 यात्रियों को प्रति यात्री रु0 25000/- दिये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़ाकर प्रति यात्री रु0 50,000/- कर दिया गया है। इस प्रकार अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाकर लौटने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी यात्रियों को प्रति यात्री रु0 50,000/- का अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0, प्रदेश के वैज्ञानिक उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाता है।

युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु यंग साइंटिस्ट विजिटिंग फैलोशिप तथा यंग साइंटिस्ट स्कीम प्रारम्भ की गयी जिससे अब तक लगभग 57 युवा वैज्ञानिक लाभान्वित हुए हैं।

खगोल विज्ञान की लोकप्रियता का संवर्धन करने, जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु प्रदेश में इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ के अतिरिक्त गोरखपुर में नक्षत्रशाला का पुनर्संचालन एवं रामपुर में नक्षत्रशाला का निर्माण किया गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खगोल विज्ञान की जागरुकता हेतु 02 मोबाइल प्लेनेटोरियम की भी व्यवस्था की गयी है।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा विशेष रूप से पेटेण्ट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, पादप वैराइटी आदि के संरक्षण नियमों के प्रचार-प्रसार एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र स्थापित किया गया। जिसके द्वारा प्रदेश स्थित विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, इंडस्ट्रीज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लगभग 20,000 लोगों को लाभान्वित किया गया।

प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित क्षेत्र में बायोटेक नेटवर्किंग फेसिलिटी केन्द्र का विकास किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई, केले के पौधों के उत्पादन हेतु टिशू कल्चर लैब, बायो डीजल उत्पादन इकाई, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना, जट्रोफा क्लोनिंग गार्डन का विकास आदि परियोजनाओं का

क्रियान्वयन किया जा रहा है। वैज्ञानिक सम्मन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वैज्ञानिक को विज्ञान गौरव, विज्ञान रत्न, युवा वैज्ञानिक सम्मान, बाल वैज्ञानिक सम्मान, विज्ञान शिक्षक सम्मान, किसान मजदूर सम्मान (नवअन्वेषक पुरस्कार) तथा विज्ञान छात्र पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है।

भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग

प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विभाग द्वारा विगत वर्षों में जनपद चित्रकूट में उर्वरक उद्योग हेतु उपयुक्त पोटाश युक्त ग्लूकोनिटिक सैण्डस्टोन, जनपद झांसी, ललितपुर व महोबा में सिरेमिक-टाइल्स उद्योग हेतु उपयुक्त क्वार्ट्स (सिलिका) तथा जनपद झांसी में एसबेस्टस शीट्स आदि के लिए उपयुक्त एसबेस्टस खनिज के भण्डारों की खोज की गयी है। वर्तमान में प्रदेश के 08 स्थानों पर प्लेटिनम, स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार खनन कार्य से पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनन क्षेत्रों में पर्यावरण विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्रापत करने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गयी है। आगामी वर्षों में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पट्टाधारकों को कम से कम समय में स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स/कार्यबल को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया जायेगा।

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आबकारी विभाग का राजस्व संग्रह लगभग रुपये 9783 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से लगभग 20 प्रतिशत अधिक था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रुपये 12500 करोड़ का राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य है। माह जनवरी, 2014 तक रुपये 8,873.79 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 18.5 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में संचालित चीनी मिलों में सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित शीरे का नियंत्रण आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2012-13 में पेराई-सत्र में (अक्टूबर, 2013 तक) शीरे का 424.56 लाख कुन्टल उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि में उत्पादित शीरे 388.82 लाख कुन्टल के सापेक्ष 9.2 प्रतिशत अधिक है। पेराई सत्र 2013-14 में माह जनवरी, 2014 तक कुल 147.01 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में अद्यतन (नवम्बर, 2013 तक) 8488.36 लाख बल्क लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है जो गत वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन 8301.00 लाख बल्क लीटर के सापेक्ष 2.3 प्रतिशत अधिक है इस उत्पादन का 46.05 प्रतिशत उपभोग प्रदेश में तथा 42.96 प्रतिशत का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में माह जनवरी, 2014 तक 1655.21 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि में उत्पादित अल्कोहल 1503.00 लाख लीटर के सापेक्ष 10.1 प्रतिशत अधिक है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा के साथ-साथ विकास विभागों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का स्थलीय भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विकास का एजेण्डा से सम्बन्धित उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर प्रारूप निर्धारित करने एवं निर्धारित प्रारूपों पर सम्पन्न होने वाली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए यह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2014-15 में भी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु संशोधित एजेण्डा निर्धारित कराने के साथ-साथ पूर्व की भांति विकास विभागों द्वारा कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के अनुश्रवण एवं सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।

भाषा विभाग

भाषा विभाग द्वारा प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रचार-प्रसार एवं विकास के साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन आठ भाषायी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों एवं पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, साहित्यिक विचार गोष्ठियों, व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया है। संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत विद्वानों को दिये जाने वाले पुरस्कार राशि को दो गुना किया गया है और संस्थान में एक बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण किये जाने तथा संस्कृत भाषा को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने का भी कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। भाषा विभाग द्वारा इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके साथ ही उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए दुर्लभ पाण्डुलिपियों, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, उर्दू के वृद्ध, बीमार लेखकों/कवियों को आर्थिक सहायता, उर्दू विषय लेकर कक्षा 6 से पी0एच0डी0 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, रोजगारपरक किताबत स्कूल का संचालन तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उर्दू कोचिंग स्कूलों का संचालन तथा उर्दू कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि की महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण पी0आई0यू0 का गठन किया गया है।

लखनऊ स्थित चक गंजरिया फार्म में आई0टी0 सिटी की स्थापना की जा रही है। आई0टी0 सिटी का विकास पी0पी0पी0 मॉडल पर किया जा रहा है।

कक्षा 12वीं पास एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लैपटाप वितरण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को लगभग 14.81 लाख लैपटाप वितरित किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत लैपटापों का क्रय यू0पी0एल0सी0 द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई0टी0 पार्कों की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है। चयनित कन्सल्टेन्ट द्वारा आई0टी0 पार्क की स्थापना हेतु विस्तृत गाइडलाइन्स तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही समस्त विकास प्राधिकरणों तथा अन्य शासकीय संस्थाओं से प्रदेश में आई0टी0 पार्क की स्थापना हेतु गाइडलाइन्स निर्गत कर दी जायेगी।

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना वर्ष 2009 में लागू की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शेष 69 जनपदों में रोलआउट किये जाने का निर्णय लिया गया। 35 जनपदों में अनुबन्धित संस्था मै0 ट्राईमैक्स द्वारा योजना की क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 34 जनपदों के लिए सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना से सुगमता से शासकीय सेवाएं/प्रमाण-पत्र ई-डिलवरी के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय एवं समाज के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील है ताकि साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद प्रदेश के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में सफल रही है।

प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रोन्नति एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में सुझाव देने हेतु राज्य एकीकरण परिषद् गठित है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा महान विभूतियों के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वाह्य सहायतित परियोजना विभाग

वाह्य सहायतित परियोजनाओं से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के साथ विकास कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आधुनिक विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है। वाह्य सहायता से पोषित पांच परियोजनाओं में विश्व बैंक द्वारा 03 तथा जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जायका) द्वारा 02 परियोजनाएं वित्तपोषित हैं।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु ''उ0 प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना'' (लगभग रु0 3500 करोड़), ''प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट'' (लगभग रु0 1850 करोड़) ''सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना'' (लगभग रु0 2410 करोड़) तथा ''उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षमतावर्द्धन परियोजना'' (लगभग रु0 8200 करोड़) तथा डी0बी0 से वित्त पोषण हेतु

प्रस्तावित ''उत्तर प्रदेश मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना'' पर वाह्य संस्थाओं से विचार-विमर्श प्रगति पर है।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2014-2015 का अंतरिम आय-व्ययक तथा उसके एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त विगत सत्र में मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक एवं कुछ अन्य विधेयक भी आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता की खुशहाली तथा जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वे हमारे प्रदेश को विकास और तरक्की के रास्ते पर तीव्र गति से आगे ले जायेंगे। मेरी सरकार ने प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने का जो संकल्प व्यक्त किया है, उसको पूरा करने में आप अपनी महती भूमिका का निर्वाह करेंगे। प्रदेशवासियों, विशेषकर किसानों, अल्पसंख्यकों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं व समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए जो कार्यक्रम मेरी सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं, उसे मूर्तरूप प्रदान करने में मैं आप सभी के सहयोग का आवाहन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक आदर्श एवं समृद्धि प्रदेश बनाने में आप सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। अन्त में पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सफल जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने और मेरी सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। जय हिन्द।

मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रथम पैरा और अन्तिम पैरा को पढ़ा। इस पूरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाय।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अरे हो गया। नारे इधर लगा रहे हों और देख ऊपर रहे हों कि कोई फोटो ले रहा है कि नहीं। यह क्या है भाई ? माननीय मुख्य मंत्री जी, मद संख्या-3

[12.42] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2014)[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2014) को सदन के पटल पर रखता हूं।

[†] छापा नहीं गया।

[12.43] उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2014)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2014) को सदन के पटल पर रखता हूं।

(माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा।)

[12.44] उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

[12.45] उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

[12.46] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को पारित किया

† छापा नहीं गया।

गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल से नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

यह धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है, विधान सभा है। आप लोग बैठिये।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2013-2014 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 और मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सदन को सूचना देनी है।

[12.48] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 फरवरी, 2014 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300 तथा 301 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 20 फरवरी, 2014 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं तथा उस दिन प्रश्नकाल न हो एवं नियम-51, 56, 300 तथा 301 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

3-दिनांक 21 फरवरी, 2014 को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतीकरण एवं उसके एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण, उस पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा पारण की मदें ली जायं।

4-दिनांक 21 फरवरी, 2014 को नियम-300 व 56 की सूचनायें न ली जायं।

5-दिनांक 24 फरवरी, 2014 को भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के निधन की सूचनायें ली जायं।

6-दिनांक 21 फरवरी, 2014 के स्थान पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दिनांक 24 फरवरी, 2014 से हो।

7-शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

फरवरी, 2014

19 बुधवार — **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

20 गुरुवार — निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

21 शुक्रवार — **1-12.20 बजे अपराह्न**

(1) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतिकरण।

2-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के एक भाग के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, उस पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण।

3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

22 शनिवार, 23 रविवार — बैठक नहीं होगी।

24 सोमवार
1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)।
2-विधायी कार्य।

25 मंगलवार
1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
2-विधायी कार्य।

26 बुधवार
1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
2-विधायी कार्य।

27 गुरुवार — (महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

28 शुक्रवार
1-विधायी कार्य।
2-अन्य कार्य, यदि कोई हो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 19 फरवरी, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 02 विधान सभा (7)-03-04-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।